सप्तम माला, खंड 24, अंक 1, गुरुवार, 18 फरवरी, 1982/29 माघ 1903 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## का

## हिन्दी संस्करण

(आठवाँ सत्र)

(खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 52 (5)
Date 21. 9. 82.

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय-सूची

अंक 1, गुरूवार, 18 फरवरी, 1982/29 माघ, 1903 (शक)


| विषय | | |
|---|---|---|
| सदस्य द्वारा शपथ गृहण | ... | 1 |
| राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया | ... | 1-9 |
| निधन सम्बन्धी उल्लेख— | ... | 9-22 |
| (सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, [मुन्दर शर्मा, [मोहनलाल सुखाड़िया, [सुमत प्रसाद, पी. काक्कन, एस. सी. बेसरा और जयसुख लाल हाथी का निधन) | | |
| मंत्रियों का परिचय | ... | 23 |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | ... | 24-33 |


*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

## लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

### सप्तम लोक सभा

#### अ

अंकिनीडू, श्री एम ' (मछलीपट्टनम)
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी. (बापतला)
अग्रवाल श्री सतीश (जयपुर)
अजीत प्रसाद सिंह, श्री (प्रताप गढ़)
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अनवर अहमद, श्री (हापुड़)
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद (बिलासपुर)
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस. (अनकापल्ली)
अब्दुल समद, श्री (बैल्लौर)
अब्दुला, डा. फारूक (श्रीनगर)
अब्बासी, श्री काजी जलील (डूमरियां गंज)
अमरीन्द्र सिंह, श्री (पटियाला)
अर्जुनन, श्री के. (धर्मपुरी)
अराकल, श्री जेवियर (एरणाकुलम)
अरुणाचलम, श्री एम. (टेंकासी)
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस (नरसापुर)
अशफाक हुसैन, श्री (महाराज गंज)
अहमद, बेगम आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री गुलशेर (सतना)
अहमद, श्री मोहम्मद असरार (बदायूं)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (बारंगल)
अहिरवार, श्री रामप्रसाद (सागर)

#### आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बंकुरा)
आजमी, डा. ए. यू. (जौनपुर)
आजाद, श्री गुलाम नबी (बाशिम)

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आर्य, श्री कुम्भा राम (सीकर)

इ

इन्द्रवेश स्वामी (रोहतक)
इन्द्राकुमारी, श्रीमती (अलीगढ़)
इम्बीचीबाबा, श्री ई. के. (कालीकट)

ई

ईरा अनबारासु, श्री (चिंगलपट्टू)
ईरा मोहन, श्री (कोयम्बटूर)

उ

उइके, श्री छोटे लाल (मांगला)
उन्नीकृष्णन् श्री के. पी. (बडागरा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एक्का, श्री क्रिस्टोफर (सुन्दरगढ़)

ओ

ओडेदरा श्री मालदेव जी. एम. (पोरबन्दर)

क

कंडास्वामी, श्री एम. (त्रिरुचेंगोडे)
कर्ण सिंह डा. उधमपुर)
कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कर्मा, श्री लक्ष्मण (बस्तर)
करुणानिधि, श्री थाभाई, एम. (नागापट्टिनम्)
कलानिधि, डा. ए. (मद्रास मध्य)

कश्यप श्री जयपाल सिंह (आंवला)
काजी सलीम, श्री (औरंगाबाद)
कादरी, श्री एस. टी. शिमोगा)
कामाक्षैया, श्री डी. (नेल्लोर)
काहनडोल, श्री जैड. एम. (माले गांव)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
कुचन श्री गंगाधर एस. (शोलापुर)
कुंवर राम, (श्री नवादा)
कुन्हम्बू, श्री के. (कान्नानौर)
कुरियन, प्रो. पी. जे. (मवेलीकारा)
कुलनदईबेलु, डा. वी. (चिदम्बरम)
कृष्ण, श्री एस. एम. (माण्डया)
कृष्णन्, श्री जी. वाई. (कोलार)
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री (महाराजगंज)
कैयर भूषण, श्री (रायपुर)
कैलाशपति, श्रीमती (मोहनलालगंज)
कोचक, श्री गुलाम रसूल (अनन्तनाग)
कोडियन, श्री पी. के. (अडूर)
कोसलराम, श्री के. टी. (त्रिरुचेंडूर)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चंडीगढ़)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

ख

खाँ, श्री आरिफ मोहम्मद (कानपुर)
खाँ, श्री गयूर अली (मुजफ्फरनगर)
खाँ, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खाँ, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खाँ, श्री मलिक एम. एम. ए, (एटा)
खाँ, श्री महमूद हसन (बुलन्दशहर)

ग

गंगवार, श्री हरीश कुमार (पीलीभीत)

गामित श्री छातूभाई (माण्डवी)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी श्रीमती इन्दिरा (मेडक)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी. एन. (पुणे)
गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री आर. पी. (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (कैराना)
गावित, श्री मानिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिरी, श्री सुधीर (कन्टई)
गिरिराज सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
गुफरान आजम श्री (बेतुल)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गौजागिन, श्री एन. (बाह्य मणिपुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अलप्पी)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कौरापुट)
गोयल, श्री कृष्ण कुमार (कोटा)
गोहिल, श्री जी. बी. (भावनगर)
गौंडार, श्री ए. सेनापति (पलानी)
गौडा, श्री एच. एन. नन्जे (हसन)
गौडा, श्री डी. एम. पुत्ते (चिकमगलूर)

घ

घोरपाड़े, श्री आर. वाई. (बेल्लारी)
घोष, श्री नीरेन (दमदम)
घोष, श्रीमती विमा गोस्वामी (नवद्वीप)

च

चन्द्रपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)

चन्द्रशेखर सिंह, श्री (बाँका)

चक्रधारी सिंह (सरगुजा)

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन (कलकत्ता-दक्षिण)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (जादवपुर)

चतुर्भुज, श्री (झालावाड़)

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी. (दावनगेरे)

चरणजीत सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)

चरण सिंह, श्री (बागपत)

चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)

चव्हाण, श्री एस. बी. (नाँदेड़)

चावडा, श्री ईश्वर भाई खोडा भाई (आनन्द)

चिगवाँग कोनयक, श्री (नांगालैंड)

चिन्नस्वामी, श्री सी. (गोबिचेट्टिपलयम)

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खान (माल्दा)

चौधरी, श्री के. बी. (बीजापुर)

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बराव (एलुरु)

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश (अमरावती)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री मोती भाई आर. (मेहसाना)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहामपुर)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

चौहान, श्री फनेहभान सिंह (धार)

छ

छांगुर राम, श्री (लालगंज)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)

जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जाखड़, श्री बलराम (फिरोजपुर)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)
जदेजा. श्री दौलत सिंह जी (जामनगर)
जमीलुर्रहमान, श्री (किशनगंज)
जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)
जयनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजाँपुर)
जेठमलानी, श्री राम (बम्बई उत्तर पश्चिम)
जेना, श्री चिंतामणि (बालासोर)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री भीकूराम (चांदनी चौक)
जैन श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)
जैल सिंह, श्री (होशियार पुर)

झ

झा, श्री कमलनाथ (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झारखंडेराय, श्री (घोसी)

ट

टन्डन श्री प्रभुनारायण (दमोह)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टुडु, श्री मनमोहन (मयूरगंज)

ठ

ठाकुर, श्री शिवकुमार सिंह (खंडवा)

### ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)

डामोर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डूंगर सिंह, श्री (हमीरपुर)

डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)

डोगरा, श्री गिरधारी लाल (जम्मू)

### त

तपेश्वर सिंह श्री (बिक्रमगंज)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश (इलाहाबाद)

तिवारी, [illegible] (बक्सर)

तिवारी, श्री चन्द्रमाल मणि (बलरामपुर)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री रामगोपाल (जंजगीर)

तुर, श्री लहना सिंह (तरनतारन)

तेइयेंग, श्री सोबेंगे (अरुणाचल-पूर्व)

तैयब हुसैन, श्री (फरीदाबाद)

### थ

थामस, श्री स्कारिया (कोट्टायम)

थूगोन, श्री पी. के. (अरुणाचल-पश्चिम)

थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

### द

दंडवते, श्रीमती प्रमिला (बम्बई उत्तर-मध्य)

दंडवते, प्रो. मधु (राजापुर)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)

दंडपाणि, श्री सी. टी. (पोल्लाची)

दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्रनगर)
दिगम्बर सिंह, श्री (मथुरा)
दुबे, श्री विन्देश्वरी (गिरिडीह)
दुबे, श्री रामनाथ (बांदा)
देव श्री वी. किशोरचन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)
देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)
देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)
देवीलाल, श्री (सोनीपत)
देसाई, श्री बी. वी. (रायचूर)

ध

धोटे, श्री जाम्बुवंत (नागपुर)

न

नन्दी येल्लैया, श्री (सिद्दीपेट)
नगीना राय, श्री (गोपालगंज)
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री (आन्तरिक मणिपुर)
नटराजन, श्री कुमबुम एन. (पेरियाकुलम)
नागरत्नम, श्री टी. (श्री पेरंबदूर)
नामग्याल, श्री पी. (लद्दाख)
नायर, श्री. बी. के. (क्विलोन)
नायकर, श्री डी. के. (धारवाड़ उत्तर)
नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायडू, श्री पी. राजगोपाल (चित्तूर)
नारायण, श्री के. एस. (हैदराबाद)
नहाटा, श्री बी. आर. (मन्दसौर)
नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
निहाल सिंह, श्री (चन्दौली)

निहाल सिंह, बाला श्री जी. एस. (संगरूर)
नाडार, श्री ए· नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम)
नेगी, श्री टी. एस. (टिहरी गढ़वाल)
नेताम, श्री अ'विन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंडित, डा. बसन्त कुमार (राजगढ़)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटनायक, श्री बीजू (केन्द्रपाड़ा)
पट्टाभिरामा राव, श्री एम. बी. पी. (राजामुन्द्री)
पत्तुस्वामी, श्री डी. (वन्डावाशी)
पटेल, श्री अमृत (गांधीनगर)
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद (भड़ौच)
पटेल, श्री उत्तमभाई एच. (बलसार)
पटेल, श्री सी. डी. (सूरत)
पटेल, श्री मोहनलाल (जूनागढ़)
पटेल, श्री शान्तुभाई (साबरकंठा)
पदायाची, श्री एन. एस. रामास्वामी (तिन्डीवनम)
पनिका, श्री रामप्यारे (राबर्टसगंज)
परमार, श्री हीरालाल आर. (पाटन)
पराशर, प्रो. नारायण चन्द (हमीरपुर)
परुलेकर, श्री बाबूसाहिब (रत्नगिरि)
पलानीअप्पन, श्री सी. (सलेम)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पाइलट, श्री राजेश (भरतपुर)
पाटिल, श्री ए. टी. (कोलाबा)
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे (अहमदनगर)
पाटिल, श्री बसन्तराव (सांगली)
पाटिल, श्री विजय एन. (इरन्दोल)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लातूर)

पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री बीरेन्द्र (बागलकोट)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पांडे, श्री कृष्णचन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री केदार (बेतिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणी (भूवनेश्वर)
पार्थसारथी, श्री पी. (राजमपेट)
पारधी, श्री केशवराव (भंडारा)
पाल, प्रो. रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री रामविलास (हाजीपुर)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुलैया, श्री दारूर (अन्नतपुर)
प्रधानी, श्री के. (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर. (नीलागिरि)
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन. (चिकबल्लापुर)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
पेंचालैया, श्री पसाला (तिरुपति)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

फ

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीस, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुलवारिया, श्री विरदा राम (जालोर)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)
बंसीलाल, श्री (भिवानी)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)

बेरवा, श्री बनवारीलाल (टोंक)
बरवे, श्री जे. सी. (रामटेक)
बार, श्रीमती गुरबिन्द कौर (फरीदकोट)
बरोट, श्री मगनभाई (अहमदाबाद)
बहेरा, श्री रामबिहारी (कालाहाँडी)
बसु श्री चित्त (बारसाट)
बाग, श्री अजित (सीरमपुर)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बागुन, सुम्बरूई श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालन श्री ए. के. (ओट्टापालम)
बालानन्दन, श्री ई. (मकुन्दपुरम)
बालेश्वर राम, श्री (रोसेड़ा)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री (सम्भल)
बैठा, श्री डूमरलाल (अररिया)
बैरो, श्री ए. ई. टी. (नाम निर्देशित-आंगल-भारतीय)
बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव (श्रीकाकुलम)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच. के. एल. (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी. आर. (सीतामढ़ी)
भगवानदेव, आचार्य (अजमेर)
भट्टाचार्य श्री सुशील (वर्दवान)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री पारसराम (सारंगढ़)
भीखाभाई, श्री (वांसवाड़ा)

भीमसिंह, श्री झुन्झुनु)
भूरिया, श्री दलीपसिंह (झाबुआ)
भोई, डा. कृपासिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोले, श्री आर. आर. (बम्बई दक्षिण-मध्य)

म

मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मण्डल, श्री मकुन्द (मथुरापुर)
मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मण्डल, श्री धनिकलाल (झंझारपुर)
मणि, श्री के. बी. एस. (पेरम्बलूर)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतीहारी)
मन्नीलाल, श्री (हरदोई)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मालन्ना, श्री के. (चित्रदुर्ग)
मावणि, श्री रामजी भाई (राजकोट)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री वृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई. एस. (जलगांव)
महाजन, श्री विक्रम (काँगड़ा)
महाटा, श्री चित (पुरलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महालगी, श्री आर. के. (ठाणे)
महाला, श्री आर. पी. (दादर तथा नगर हवेली)
महेन्द्र प्रसाद, श्री (जहानाबाद)
माने, श्री आर. एस. (इचलकरांजी)
मायातेवर, श्री के. (डिन्डिगल)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मल्लु श्री अनन्त रामु (नगरकुरनूल)

मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)

मिश्र, श्री उमा कान्त (मर्जापुर)

मिश्र, श्री राम नगीना, (सलेमपुर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मिश्र, श्री हरिनाथ (दरंभगा)

मिश्र, श्री गर्गीशंकर (सिवनी)

मीणा, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पसकुरा)

मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्दगोपाल (आसनसोल)

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद (बहराइच)

मुत्तंमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुथुरकुमारन, श्री आर. (कुड्डालौर)

मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुक्तुपुजा)

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (अमालापुरम)

मुरुगैयन, श्री एस. (तिरुपत्तूर)

मुल्तान सिंह, चौधरी (जलेसर)

मूर्ति, श्री एम. बी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम. राजशेखर (मैसूर)

मेहता, प्रो. अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, डा. महपति राय एम. (कच्छ)

मैत्रा, श्री सुनील (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदक, श्री विजय (आरामबाग)

मोरे, श्री रामकृष्ण खेड़)

मोहम्मद इस्माइल, श्री (वैरकपुर)

मोहिते, श्री यशवन्त राव (कराड़)

मोहसिन, श्री एफ. एच. (धारवाड़ दक्षिण)

याजदानी, डा. गोलम (रायगंज)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री डी पी. (मूंगेर)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री आर. एन. (परभणी)
यादव, श्री रामसिंह (अलवर)
यादव, श्री विजयकुमार (नालन्दा)
यादव, श्री सुभाष चन्द्र (खरगोन)
युसुफ, श्री मोहम्मद (सिवान)



रंगा, प्रो. एन. जी. (गुन्टूर)
रवाणी, श्री नवीन (अमरेली)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
रहीम, श्री ए. ए. (चिरयिन्किल)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राकेश श्री आर. एन. (चैल)
राजदा, श्री रत्नसिंह (बम्बई दक्षिण)
राजन, श्री के. ए. (त्रिचर)
राजमल्लू, श्री के. (पेद्दापल्लि)
राजू, श्री पी. वी. जी, (बोबिली)
राजेश कुमार सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
रणजीत सिंह, श्री (चतरा)
रणवीर सिंह, श्री (केसरगंज)
रथ, श्री रामचन्द्र (आस्का)

राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौर, श्री उत्तम (हिंगोली)

राणे, श्रीमती संयोगिता (पणजी)

राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री रामस्वरुप (गया)

रामकिंकर, श्री (बाराबंकी)

रामलिंगम, श्री एन. कुदन्तई (मयूरम)

राममूर्ति, श्री के. (कृष्णगिर)

रामुलु, श्री एच. जी. (कोप्पल)

राय, श्री ए. के. (धनबाद)

राय, श्री एम. रामन्ना (कासरगोड)

राय, श्री रामायण (देवरिया)

राय, ए. सरदीश (बोलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री एम. एस. सजीवी काकीनाडा)

राव, श्री एम. सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)

राव, श्री जलगांव कोन्डला (खम्मम)

राव, श्रीमती बी. राधाबाई आन्नद (भद्राचलम)

राव, श्री एम. नागेश्वर (तेनालि)

रावत, श्री पी. वी. नरसिंह (हनमकोंडा)

रावत, श्री हरीश चन्द्रसिंह (अलमोड़ा)

राही, श्री रामलाल (मिसरिख)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)

रौत, श्री जयनारायण (सलूम्बर)

रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री के. ओबुल (कड़प्पा)

रेड्डी श्री के. ब्रह्मानन्द (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर (कूरनूल)

रेड्डी, श्री जी. एस. (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री टी. दामोदर (नलगोंडा)
रेड्डी श्री पी. बायपा (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री पी. बैंकट (ओंगोल)
रोथुआभा, डा. आर. (मिजोरम)

ल

लकप्पा, श्री के. (टुमकुर)
लक्ष्मनन्, श्री जी. मद्रास उत्तर)
लास्कर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लारेंस, श्री, एम. एम. (इदुक्की

व

व्यास, श्री गिरधारी (भीलवाड़ा)
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (आर)
वर्मा श्री जयराम (फैजाबाद)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्रीमती उषा (खेरी)
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह (मैनपुरी)
वर्मा, श्री रवीन्द्र (बम्बई उत्तर)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिवरचण (मछलीशहर)
वाघ, डा. प्रताप (नासिक)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (नई दिल्ली)
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री बी. एस. (पालघाट)
वीरभद्र, सिंह (मण्डी)
विश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)

वेंकटरामन, श्री आर. (मद्रास दक्षिण)

वेंकटसुब्बय्या, श्री पी. (नन्दयाल)

बेलू श्री एम. एम. (अर्कोनम)

बैराले, श्री मधु सूदन (अकोला)

श

शंकरानन्द, श्री वी. (चिकौड़ी)

शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)

शनमुगम, श्री पी. (पांडिचेरी)

शमन्ना, श्री टी. आर. (बंगलौर दक्षिण)

शर्मा, श्री कालीचरण (भिण्ड)

शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)

शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)

शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)

शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)

शर्मा, श्री सुन्दर (जबलपुर)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (झांसी)

शर्मा, डा. शंकरदयाल (भोपाल)

शाक्य, श्री दयाराम (फर्रूखाबाद)

शाक्य, श्री रामसिंह (इटावा)

शाक्यवार, श्री नाथुराम (जालौन)

शास्त्री, श्री धर्मदास (करोलबाग)

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)

शिगंडा, श्री डी. बी. (दहानू)

शिवप्रकाशम्, श्री डी. एस. ए. (तिरुनेलवेली)

शिवशंकर, श्री पी. (सिकन्दराबाद)

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

शेजवलकर, श्री एन. के. (ग्वालियर)

शैलानी, श्री चन्द्रपाल (हाथरस)

श्री निवास प्रसाद, श्री वी. (चामराजनगर)

स

संखवार, श्री आशकरन (घाटमपुर)

संगमा, श्री पी. ए. (तुरा)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षदीप)

सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)

सत्यदेसिंह, प्रो. (छपरा)

सतियेन्द्रन, श्री एम. एम. के. (रामनाथपुरम)

सतीश प्रसाद सिंह, श्री (खगरिया)

समीनुद्दीन, श्री (गोड्डा)

साठे, श्री वसन्त (वर्धा)

सारण, श्री दौलतराम (चुरू)

सांरगी श्री, आर. जी. (जमशेदपुर)

सावंत, श्री टी. एम. (उस्मानाबाद)

साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

साहू, श्री नारायण (देवगढ़)

साहू, श्री शिवप्रसाद (रांची)

सिंगारावाडीवेल, श्री एस. (तंजावुर)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिन्हा, श्रीमती किशोरी (वेशाली)

सिन्ह, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)

सिंहा श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (राजगढ़)

सिंह, श्री धर्मवीर (बाढ़)

सिंह, श्री सी. पी. एन. (पदरौना)

सिंह, डा. बी. एन (हजा रीबाग)

सिंह, श्री धर्मगज (शाहबाद)

सिंह, श्री बी. डी. (फूलपुर)

सिंह देव, श्री के. पी. (ढकानाल)

सिंदनाल, श्री एस· बी. (बेलगाम)

सुखवन्स कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुन्दरराजन, श्री एन. (शिवकासी)

सुन्दरसिंह, भी (फिल्लौर)

सुब्बा, श्री पी. एम. (सिक्किम)

सुब्बुरमण, श्री ए. जी. (मदुरै)

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सूरजभान, श्री (अम्बाला)

सूर्यनारायण सिंह, श्री (बलिया)

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह (बीदर)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मेजेरी)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेठी, श्री पी. सी. (इन्दौर)

सेन, श्री ए. के. (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री सुबोध (जलपाईगुडी)

सेबस्तियन, श्री ए. ए. दोराई (करूर)

सेलवाराजू श्री एन. (तिरुचिरापल्ली)

सैनी, श्री मनोहरलाल (कुरुक्षेत्र)

सौनकर श्री कल्पनाथ (बस्ती)

सोरन श्री शिबू (दुमका)

सोरन श्री हरिहर (क्योंझर)

सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़बंज)

सोलंकी, श्री बाबूलाल (मुरैना)

स्टीफन, श्री सी. एम. (गुलबर्गा)

स्पैरो, श्री आर. एस. (जालन्धर)

स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व)

स्वामी, श्री के. ए. (विशाखापत्तनम)

स्वामीनाथन, श्री आर. बी. (शिवगंगा)

स्वामीनाथन, श्री बी. एन. (पुद्दकोट्टई)

ह

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलबेरिया)

हरिकेश बहादुर, श्री (गोरखपुर)

हसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)

हाकमसिंह, (भटिंडा)

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र (दुर्गापुर)

हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

होरो, श्री एन. ई. (खूंटी)

क्ष

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड)

त्र

त्रिपाठी, श्री कमलापति (वाराणासी)

त्रिपाठी, श्री रामनारयण (बिल्हौर)

त्रिलोकचन्द, श्री (खुर्जा)

## लोकसभा

### अध्यक्ष

श्री बलराम जाखड़

### उपाध्यक्ष

श्री जी. लक्ष्मनन्

### सभापति तालिका

श्री गुलशेर अहमद

श्री सोमनाथ चटर्जी

श्री हरिनाथ मिश्र

श्री के. राजामल्लू

श्री चन्द्रजीत यादव

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

### सचिव

श्री अवतार सिंह रिखी

## भारत सरकार

### मंत्रिमंडल के सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| प्रधान मंत्री (वे सभी मंत्रालय/विभाग जो नीचे विनिर्दिष्ट नहीं है) | | श्रीमती इन्दिरा गाँधी |
| वित्त मंत्री | — | श्री प्रणव कुमार मुखर्जी |
| विदेश मंत्री | — | श्री पी. वी. नरसिंह राव |
| गृह मंत्री | — | श्री ज्ञानी जैल सिंह |
| संचार मंत्री | — | श्री सी. एम. स्टीफन |
| रक्षा मंत्री | — | श्री आर. वेंकटरामन् |
| ऊर्जा मंत्री | — | श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी |
| योजना मंत्री | — | श्री एस. बी. चव्हाण |
| विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री | — | श्री जगन्नाथ कौशल |
| सिंचाई मंत्री | — | श्री केदार पांडे |
| नौवहन और परिवहन मंत्री | — | श्री वीरेन्द्र पाटिल |
| सूचना और प्रसारण मंत्री | — | श्री वसन्त साठे |
| रेल मंत्री | — | श्री प्रकाश चन्द्र सेठी |
| पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री | — | श्री शिव शंकर |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री | — | श्री बी. शंकरानन्द |
| पर्यटन और नागर विमान मंत्री | — | श्री अनन्त प्रसाद शर्मा |
| ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री | — | श्री भीष्म नारायण सिंह |
| कृषि तथा ग्रामीण विकास | — | राव वीरेन्द्र सिंह |
| नागरिक पूर्ति मंत्री | — | |
| उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री | — | श्री नारायण दत्त तिवारी |

## राज्य मंत्री

| | | |
|---|---|---|
| सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री जैड. आर. अंसारी |
| श्रम मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री | — | श्री भगवत झा आजाद |
| उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री | — | श्री चरणजीत चानना |
| शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री | — | श्रीमती शीला कौल |
| नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री सीता राम केसरी |
| पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयों में राज्य मंत्री | — | श्री खुर्शीद आलम खान |
| गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री नीहार रंजन लास्कर |
| ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री विक्रम महाजन |
| संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री योगेन्द्र मकवाना |
| ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री | — | श्री गार्गी शंकर मिश्र |
| वाणिज्य मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री | — | श्री शिवराज वी. पाटिल |
| विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री ए: ए. रहीम |
| कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री | — | श्री बालेश्वर राम |
| रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री सी. के. जाफर शरिफ |
| पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री | — | श्री बूटा सिंह |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री | — | श्री सी. पी. एन. सिंह |
| पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री | — | श्री दलबीर सिंह |
| उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री | — | श्रीमती राम दुलारी सिन्हा |
| वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री | — | श्री सवांई सिंह सिसोदिया |
| कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री | — | श्री आर. पी. स्वामीनाथन् |
| गृह मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री | — | श्री पी वेंकट सुब्बय्या |

## उप मंत्री

| | | |
|---|---|---|
| कृषि तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उप मन्त्री | — | श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ |
| रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री के. पी. सिंह देव |
| श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री धर्मवीर |
| पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री गिरिधर गोमांगो |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | कु. कुमुदबेन एम. जोशी |
| सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री आरिफ मोहम्मद खान |
| कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उपमंत्री | — | कु. कमला कुमारी |
| रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री | — | श्री मल्लिकार्जुन |
| निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री बृजमोहन मोहन्ती |
| संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री विजय एन. पाटिल |
| वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री जनार्दन पुजारी |
| संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री | — | श्री कल्प नाथ राय |
| इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री | — | श्री एम. एस. संजीवी राव |
| वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री पी. संगमा |
| शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री | — | श्री पी. के. थुंगन |

# लोक सभा

गुरुवार, 18 फरवरी, 1982/29 माघ, 1903 (शक)

लोक सभा 12 बजकर 32 मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राम प्रसाद अहीरवार (सागर)

---

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : गढ़वाल में एलेक्शन कराओ । गढ़वाल में चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं ?

**श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** (त्रिवेन्द्रम) : गढ़वाल में निर्वाचन कराने का आप में साहस नहीं है । आपको चुनाव से डर लगता है ।

**श्री आर. एन. राकेश** (चैल) : गढ़वाल में एलेक्शन कराने से सरकार घबड़ाती है ।...

**एक माननीय सदस्य** : गढ़वाल में क्या हो गया ? गढ़वाल में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं ?

**श्री आर. एन. राकेश** : हिम्मत नहीं है सरकार की गढ़वाल में चुनाव कराने की ।

---

## राष्ट्रपति का अभिभाषण

**सचिव** : मैं संसद में दोनों सदनों में दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

**श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** (त्रिवेन्द्रम) : प्रधान मंत्री (व्यवधान)... लगभग 200 । यह सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण के योग्य नहीं है । हम पहले ही अपनी आपत्ति राष्ट्रपति को भेज चुके हैं और मैं इसे सभापटल पर रख* रहा हूं । (व्यवधान)

---

* अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में अनुमति न दिये जाने के कारण इस पत्र को सभा पटल पर रखा गया माना गया ।

## राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 1982 के साल में पार्लियामेंट के इस पहले सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने बजट और विधान कार्य के सिलसिले में जो काम है उसको सफलता के साथ पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनायें पेश करता हूं।

2. 1981-82 के साल में हमारा काम और मजबूत हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक वातावरण ठीक न होने के बावजूद मुद्रा के फैलाव को काफी हद तक कम कर दिया गया है। चालू साल में हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार से और संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम के एलान की बुनियाद पर हम और टिकाव तथा ज्यादा समाजी न्याय के साथ आगे बढ़ सकेंगे। अप्रैल 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान पिछले साल इसी अर्से के मुकाबले बिजली की पैदावार में 11.3 फीसदी की बढ़ोतरी, कोयले की पैदावार में 11.2 फीसदी और रेल से माल की ढुलाई में 14.4 फीसदी इजाफा हुआ है। दरअसल, रेलवे इस साल 22 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा माल की ढुलाई का अब तक का सबसे ऊंचा रिकार्ड कायम करेगी। यह पहले के सबसे ऊंचे आंकड़े से 80 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अप्रैल, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान सभी खास-खास उद्योगों के उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है। इसकी कुछ ध्यान देने योग्य मिसालें इस प्रकार हैं : बिक्री योग्य इस्पात (18.7 फीसदी), सीमेन्ट (15.0 फीसदी), नाइट्रोजन वाली खाद (51.9 फीसदी), कच्चा पैट्रोलियम (61.2 फीसदी) और पैट्रोलियम की चीजें (18.4 फीसदी)।

3. इस बात के पक्के आसार हैं कि इन और दूसरे उद्योगों में और भी ज्यादा उत्पादन होगा। रासायनिक खाद के मामले में तीन नये कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है और मौजूदा कारखानों का प्रसार हो गया है। उससे नाइट्रोजन खादों की पैदावार की क्षमता 45.75 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 53 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। फास्फेट की क्षमता 12.82 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 14.90 लाख मीट्रिक टन हो जायेगी। पैट्रोलियम के मामले में 1980-81 के दौरान कुल 105 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की उत्पादन की तुलना में 1981-82 के साल में कुल उत्पादन 160 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो सकेगा। बम्बई हाई के पूरब के समुद्री इलाके, पाक स्ट्रेट, गुजरात में सिसोदरा, आसाम में नापामुआ में तेल का पता चला है। त्रिपुरा में बारामुरा और गुजरात में कुदारा के मुकाम पर गैस का पता चला है। इससे यह यकीन होता है कि इनके उत्पादन की रफ्तार और तेज होगी। तेल को साफ करने की हमारी क्षमता 1980-81 में 318 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1981-82 में 378 लाख मीट्रिक टन हो गयी है। खाना पकाने की गैस का जो उत्पादन चालू साल में 15 फीसदी बढ़ा है आने वाले साल में उसके कोई 40 फीसदी और बढ़ जाने की उम्मीद है। तब उसकी मांग और सप्लाई की हालत में काफी सुधार दिखाई पड़ेगा। उम्मीद है कि छः मिले-जुले इस्पात कारखानों में बिक्री के काबिल इस्पात की पैदावार 72 लाख मीट्रिक टन की सतह को छू लेगी जो अब तक की सबसे ऊंची सतह है। यह पिछले साल की पैदावार के मुकाबले 10 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा होगा। यह इस बात का सबूत होगा कि इस्पात कारखानों की लगभग 84 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल कर लिया गया है। सितम्बर, 1981 में सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया कि पारादीप में एक मिला-

जुला इस्पात कारखाना खड़ा किया जाये। विशाखापत्तनम में एक मिले जुले इस्पात कारखाने को खड़ा करने का फैसला तो हो ही चुका है। इन बातों से जाहिर है कि सरकार ने इस बारे में अपनी कमर पूरी तरह कस ली है कि वह अपनी मौजूदा क्षमता को इतना बढ़ाकर ही दम लेगी कि इस अहम सैक्टर में अपनी जरूरतों को खुद पूरा किया जा सके।

4. कल-कारखानों में पैदावार की जो रफ्तार बन चुकी है इसे कायम रखने के लिये और माली तरक्की में तेजी लाने के लिए 1982 के साल को 'उत्पादकता का साल' के रूप में मनाया जा रहा है। हम पूरे जोर-शोर से इस बात की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था के सभी सैक्टरों में जो हमारी क्षमता है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें।

5. 1981-82 में खेती की पैदावार भी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। जो अंदाजा लगाया गया है, उससे पता चलता है कि खरीफ की फसल की उपत अब तक की पैदावार को लांघती हुई 799 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। आशा है कि पूरे साल में अनाज की पैदावार बढ़कर पहले के रिकार्ड को तोड़ते हुए 1320 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। 1980-81 की पैदावार 1299 लाख मीट्रिक टन थी। उसके मुकाबले इस साल का उत्पादन जाहिरा तौर पर बहुत अच्छा होगा जबकि 1980-81 की पैदावार ही 1979-80 के मुकाबले 18.4 फीसदी ज्यादा थी।

6. गन्ने की जो पैदावार 1979-80 में घटकर 1290 लाख मीट्रिक टन रह गयी थी, 1980-81 में 1505 लाख मीटिक टन तक पहुंची थी और इस साल इसके 1700 और 1800 लाख मीट्रिक टन के बीच पहुंच जाने की उम्मीद है। अनुमान है कि दालों की पैदावार जो 1979-80 में 86 लाख मीट्रिक टन और 1980-81 में 112 लाख मीट्रिक टन थी, वह इस साल बढ़कर 120 से 130 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जायेगी। जहां सरकार ने इस बात का इन्तजाम कर लिया है कि खेती के आदान काफी मात्रा में वक्त पर मिल सकें, वहाँ खेती में ध्यान देने योग्य हमारी तरक्की बहुत कुछ हमारे किसानों के उत्साह, लगन और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। उसका सेहरा उनके सिर पर ही बंधना चाहिए।

7. 1980-81 के दौरान 24 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की और गुंजाइश पैदा की गई। 1981-82 के दौरान 26 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का इन्तजाम हो जाने की उम्मीद है। इस तरह इन दो सालों में 50 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की सहूलियत हो जायेगी। छठी योजना के बाकी तीन सालों में हर साल 30 लाख हैक्टेयर जमीन जोड़ते चले जाने का हमारा इरादा है। एक साल में सिंचाई का सबसे ज्यादा इन्तजाम करने का यह हमारा रिकार्ड है। दुनिया का कोई भी दूसरा मुल्क अभी तक इसे नहीं कर सका है। सरकार ने पानी के साधनों के विकास के लिए एक नेशनल प्लान भी तैयार किया है। वह राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करेगी। और छानबीन करेगी। हमारे देश में जो पानी के साधन मौजूद हैं उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करने के सिलसिले में योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय जल विकास ऐजेंसी बनाई जायेगी। शुरू-शुरू में वह देश के दक्षिणी भाग में नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे में योजना बनायेगी। इस साल के दौरान दो खास बातें हुई हैं। वे ये हैं कि नर्वदा नदी के पानी के इस्तेमाल के बारे में सहमति तथा रावी और व्यास नदियों के फालतू पानी की हिस्सेदारी

के बारे में समझौता हो गया है। मैं इन दोनों के लिए इससे ताल्लुक रखने वाली राज्य सरकारों को मुबारकबाद देता हूं।

8. एक सैंट्रल बैंक रिसोर्सेज कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट कमीशन कायम किया जा रहा है। यह जमीन के साधनों के इन्तजाम के वास्ते राष्ट्रीय नीति बनाने के मामले में विशिष्ट मार्गदर्शन करेगा और राज्यों में जमीनों के इस्तेमाल के सिलसिले में मौजूदा बोर्डों के साथ तालमेल रखेगा। जंगलात की हिफाजत के 1980 के कानून के लागू किए जाने से पहले हर साल जंगलात की लगभग 1.5 लाख हैक्टेयर जमीन जो दूसरे प्रयोगों में लाई जाती थी, अब उस मसले पर काबू पा लिया गया है। चूंकि भारतीय वन कानून, 1927 सभी राज्यों में एक जैसा लागू नहीं होता इसलिए यह विचार किया जा रहा है कि मौजूदा कानून की जगह लेने के लिए एक और बड़ा कानून पेश किया जाये। समाजी रूप से वन लगाने के प्रोग्राम के तहत उम्मीद की जाती है कि 1981-82 में 135 करोड़ पौधे लगाये गये हैं। देहाती इलाके में कर्ज दिये जाने की सहूलियतें और ज्यादा बढ़ें, इसके लिए एक राष्ट्रीय बैंक कायम करने के बारे में कानून का पास हो जाना एक खासा कदम है।

9. सरकार की ताकत मुद्रा के फैलाव पर काबू पाने में लगी रही। मुद्रा के फैलाव पर काबू पाने के तरीके हैं कि पैदावार बढ़ाई जाये, कारखानों के उत्पादन की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाये, लोगों को जरूरत की चीजें दिलाने की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाये, जब जरूरत हो जरूरी चीजों को बाहर से मंगाया जाये, राजस्व और मुद्रा के मामले में अनुशासन हो और समाज विरोधी लोगों की हरकतों को रोका जाये। मुद्रा के फैलाव की सालाना दर, जो थोक भावों के प्वाइंट दर प्वाइन्ट बढ़ने-घटने से मापी गई है, 12 जनवरी, 1980 को खत्म होने वाले हफ्ते में 22.2 फीसदी से घटकर 10 जनवरी, 1981 को खत्म होने वाले हफ्ते से 14.8 फीसदी और 9 जनवरी, 1982 को खत्म होने वाले हफ्ते में और भी घटकर 6.9 फीसदी रह गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यानी 28 मार्च, 1981 और 13 जनवरी, 1982 में इन्डेक्स सिर्फ 2.8 फीसदी बढ़ा है जो पिछले साल इसी अर्से के दौरान हुई 14.1 फीसदी बढ़ोतरी के मुकाबले काफी कम है। मार्च 1981 में उचित दर की दुकानों की तादाद 2 लाख 73 हजार थी उसके मुकाबले नवम्बर, 1981 में इनकी तादाद 2 लाख 98 हजार हो गयी। इस तरह मुद्रा के फैलाव के खिलाफ जो मुहिम है, उसकी चौकसी करने में कोई कमी नहीं की जायेगी।

10. जबकि मौजूदा रवैये से मुद्रा के फैलाव के खिलाफ लड़ाई में और अच्छे नतीजे निकलने की आशा है, व्यापार भुगतान के हालात में बिगाड़ से निपटने के लिए और ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। 1980-81 में तेल और तेल की चीजों को बाहर से मगाने में दी जाने वाली कीमतों में तेजी से इजाफा हो जाने के सबब इस वर्ष व्यापार का घाटा बढ़कर 5,500 करोड़ रुपये हो गया था जबकि 1979-80 में यह घाटा 2,450 करोड़ रुपये था। इन हालात से निपटने के लिए और लगातार तरक्की करने के लिए सरकार ने इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड से एक करार किया है जिसके तहत हम अगले तीन सालों में एस डी आर पांच बिलियन निकाल सकेंगे।

11. निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। उनकी वजह से अप्रैल-नवम्बर, 1981 के दौरान अन्दाजा है कि दूसरे मुल्कों को जाने वाले माल में 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी

हुई है। देश के माली-सिस्टम की पैदावार की गुंजाइश बढ़ाने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उनका नतीजा यह है कि बाहर से माल मंगाने के बिल में इसी दौरान 11.4 फीसदी की कमी आई है। इस बात का यकीन किया जा सकता है कि पिछले चन्द सालों में व्यापार भुगतान में जो घाटा बढ़ता चला जा रहा था वह 1981-82 में रुक जायेगा। संसद को भी पता है कि निर्यात के लिये कर्जों में मदद देने के वास्ते एक एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक कायम किया गया है। आने वाले सालों में निर्यात बढ़ाने के काम को तरजीह दी जाती रहेगी।

12. अन्दाज लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार के मातहत सरकारी उद्योगों में अप्रैल-सितम्बर, 1981 में, पिछले साल के इसी अर्से के मुकाबले पैदावार के इजाफे की कुल दर 20 फीसदी हो जायेगी। इस काम के और अच्छा होने की गुंजाइश और जरूरत है। सरकारी सैक्टर के उद्योग धन्धे को और ज्यादा ताकत देकर, इनके कामकाज के तरीकों को आसान बना कर और इनकी जवाबदेही में और कड़ाई लाकर इनके काम को ठीक तरह चलाने और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

13. सरकार के कामगारों की बेहतरी की बहुत फिक्र है क्योंकि ये लोग पैदा करने की देश की ताकत और पैदावार बढ़ाने में खासा रोल अदा करते हैं। औद्योगिक झगड़ों, ट्रेड यूनियनों, कामकाज के तरीकों की वजह से होने वाली देरी को दूर करने और कामगारों को तेजी से इन्साफ दिलाने से ताल्लुक रखने वाले कानूनों में तबदीली करने के लिए इस सेशन में एक बिल पेश करने का विचार है। मजदूरों के मसलों को पहले से अनुमान लगाने और उनको फौरन हल करने के लिए औद्योगिक रिश्तों से ताल्लुक रखने वाली मशीनरी को मजबूत और कारगर बनाया जा रहा है।

14. बीस सूत्री कार्यक्रम में संशोधन किया गया है ताकि छठे प्लान में शामिल कुछ खास समाजी तथा आर्थिक प्रोग्रामों को और ज्यादा तेजी से चलाया जा सके। मोटे तौर पर इसके जरिये उस मकसद को और ज्यादा ठोस बना दिया गया है जिसकी तमन्ना हम सबके लिए खास तौर पर कमजोर वर्गों के लिए छठे प्लान में की गई है। ऐसे प्रोगामों पर खास जोर दिया जा रहा है जिनसे उन वर्गों की मदद की जा सके जिनके लिए खास लक्ष्य तय किए गये हैं। मदद का यह काम मिले-जुले देहाती विकास प्रोग्राम शेड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेंट प्लान और हिल एण्ड ट्राइबल सब प्लान गन्दी बस्ती सफाई प्रोग्राम और देहाती परिवारों को रहने की जगह देने के प्रोग्राम के जरिये होना है। जहां संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम का खास जोर इस बात पर रहेगा कि आबादी के कम सुविधा वाले तबकों के लिए रहन-सहन का और अच्छा इन्तजाम होता रहे, वहां समूचे प्रोग्राम का मकसद यह है कि सब तरफ पैदावार की जो हमारी शक्ति है वह दिनों-दिन बढ़ती चली जाये।

15. 1981 की जन गणना से यह साफ हो गया है कि आबादी पर काबू पाने का खासा महत्व है। सरकार इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है कि लोग अपनी मर्जी से परिवार-नियोजन को अपनाएं ताकि वह लोक-हित का और देश की तरक्की का एक निहायत जरूरी हिस्सा बन सके। इसीलिए इस बात को संशोधित बीस-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हमारा मकसद यह है कि इस सदी के आखीर तक हम जन्म दर को घटाकर फी हजार 21 तक और मौत की दर को 9 तक ले आयें। मैं इस बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा

कि कोढ़ और अन्धेपन पर काबू पाने के मुल्क के प्रोग्रामों में भी तेजी लाई गयी है ताकि सन् 2000 तक "सबकी तन्दुरुस्ती रहे" के मकसद को पूरा किया जा सके। अब इन दोनों प्रोग्रामों को ऐसा समझा जा रहा है कि वे 100 फीसदी केन्द्रीय सरकार के प्रोग्राम हैं।

16. इस काम में तेजी लाई जा रही है कि सभी बच्चों के लिये शुरू की तालीम का इन्तजाम किया जाये और अनपढ़ बालिग लोगों के लिये शिक्षा के उचित कार्यक्रम चलाये जायें। सरकार ने गैर-रस्मी शिक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया है। पेशों से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा की विषय वस्तु को बदलने का विचार है। ऊंची शिक्षा को खास तौर पर ऊंची तकनीकी शिक्षा में जोर किस्म पर दिया जायेगा।

17. इस साल के दौरान स्पेस टैक्नोलाजी और सचार में काफी तरक्की हुई है। भारत में बने तीन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गये। रोहिणी को हमारे अपने सैटेलाइट भेजने के यान ने आकाश में भेजा। इसके अलावा तजुर्बे के तौर पर संचार सैटेलाइट 'एपल' और धरती की निरख-परख करने वाला सैटेलाइट 'भास्कर-2' भी भेजे गये। नवम्बर, 1981 में जब इन्टेलसेट IV की मदद से जम्मू और काश्मीर में लेह, मिजोरम में ऐजोल, अन्डमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार तथा लक्षद्वीप में कवरटटी जैसे दूरदराज के इलाकों के साथ सैटेलाइट के जरिये सम्बन्ध कायम किया गया तब भारत संचार के कुछ उन देशों में से एक ऐसा देश बन गया जिसके पास देश के अन्दर संचार के लिए सैनेलाइट है। रूस के साथ एक ट्रोपोस्कैटर संचार सम्पर्क, श्रीलंका के साथ समुद्री तार और बांग्लादेश के साथ माइक्रोवेव सम्पर्क कायम किया गया है। इस दिशा में हमारा अगला बड़ा कदम 'इन्सेट' नामक के एक इंडियन नेशनल सैटेलाइट को अप्रैल, 1982 में छोड़ा जाना है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल मौसम-विज्ञान, सचार और रेडियो तथा दूरदर्शन के लिये किया जायेगा। माइक्रोवेव भारत के मद्रास, बगलौर, बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े-बड़े नगरों के बीच पहले ही कायम हो चुका है। इस वेव के जरिये दूरदर्शन कार्यक्रम भी देखे जा सकेंगे। दिल्ली और कलकत्ता तथा दिल्ली, श्रीनगर के बीच सम्पर्क का काम जून, 1982 तक पूरा हो जायेगा और शहरों तथा देहातों के बहुत से इलाकों में सैटेलाइट और माइक्रोवेव सिस्टम चालू हो जायेगा।

18. इस साल केबिनेट की साईन्स सलाहकार कमेटी बनाई गई है। साईन्स और टैक्नोलाजी के दायरे में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार एक साइंस एण्ड टैक्नोलाजी एण्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड कायम कर रही है। इसके अलावा कुछ दूसरे बड़े कदम उठाये गये हैं। उनमें एडीशनल सोर्स आफ एनर्जी के लिए एक कमीशन का कायम किया जाना भी है। वह समूचे देश में बड़े पैमाने पर खोज और तरक्की तथा प्रदर्शन के बहुत से कार्यक्रम शुरू कर चुका है। एक और बड़े फैसले के मुताबिक एक कौमी बायोटैक्नोलाजी बोर्ड कायम किया जायेगा जो बायोटैक्नोलाजी के काम में तालमेल रखेगा जो खेती, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में महत्व रखती है। साथ ही दिल्ली में इम्यूनोलाजी के लिये एक राष्ट्रीय संस्था और अहमदाबाद में एक प्लाजमा फिजिक्स प्रोग्राम कायम किया गया है।

19. वायुमंडल से संबंध रखने वाले विभाग ने हमारे चारों ओर के पेड़, पौधों वगैरह को बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किये हैं। इसने एक नैशनल इको-डवेलपमेंट बोर्ड भी कायम किया है। विभाग ने ऐसे कुछ तरीके ईजाद किये हैं ताकि यह जायजा लिया जा सके कि बड़े-बड़े

प्रोजेक्टों का हमारे चारों तरफ के हवा-पानी वगैरह पर क्या असर पड़ता है और इस बात की निगरानी की जा सके कि ऐसे प्रोजेक्टों में हवा-पानी वगैरह की हिफाजत का काम चल रहा है या नहीं।

20. जुलाई, 1981 में कायम किये गये समन्दरों की तरक्की से संबंधित विभाग, समन्दरों की तरक्की के लिये जाने वाले वक्त को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार कर रहा है। इसने दक्षिणी ध्रुव के लिये एक वैज्ञानिक अभियान दल भेजा है जो दो महीने से ज्यादा के कामयाब समन्दरी सफर के बाद इसके नेता वापस आ चुके हैं और दूसरे लोग जल्दी ही वापस लौट रहे हैं। इस दल के काम में मौसम विज्ञान, ग्लेश्योलाजी और समुद्र-विज्ञान के दायरे में वैज्ञानिक जांच का बहुत-सा काम शामिल है।

21. अब मैं कानून और व्यवस्था से संबंध रखने वाले कुछ मसलों को लूंगा। फिर्कावाराना हितों द्वारा फैलाये गये आन्दोलन में कौम की ताकत जाया नहीं की जानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिये इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं है। कुछ जगहों पर शैडयूल्ड कास्ट के लोगों पर जो जुल्म ढाये गये हैं उनसे सरकार दुःखी है। उसने इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि सभी तबकों के लोग हिफाजत और इज्जत के साथ रहें। जो लोग कसूरवार पाये जायेंगे, उनके साथ सख्ती से निबटा जायेगा। इन वर्गों के सामने जो मसले हैं, वे देश के बड़े समाजी-माली समस्याओं से अलग नहीं हैं। फिर्कापरस्ती और जातिवाद में यकीन रखने वाली उन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए जनता का पूरा-पूरा सहयोग जरूरी है जो अक्सर समाज विरोधी लोगों के साथ साँठ-गांठ रखती हैं। अनुसूचित जातियों और जन जातियों तथा कमजोर तबकों के मिले-जुले समाजी-माली विकास के प्रोग्रामों को तेज कर दिया गया है। उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा रुपये-पैसे का इंतजाम किया गया है। इन प्रोग्रामों को अमल में लाने के तरीके पर पैनी निगाह रखी जायेगी।

22. आसाम में विदेशियों के मसले का उचित और संतोषजनक हल खोजने की अपनी सच्ची कोशिशों के हिस्से के रूप में सरकार ने आन्दोलन करने वाले संगठनों के नुमाइन्दों और सियासी पार्टियों के नेताओं से कई बार बातचीत की। ये कोशिशें जारी हैं।

23. दुनिया में मुल्कों के आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ फौजी जमाव की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। वह एक ऐसा खतरा है जिसकी वजह से हम सबको अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि हम गुटों से अलग रहते हुए मतभेदों को शांति के साथ निपटाते हुए कौम की हिफाजत और उसके हितों की रक्षा करेंगे। हम हृदय से यह आशा करते हैं कि बड़ी-बड़ी फौजी ताकतें इस बात का एहसास करेंगी कि लड़ाई-झगड़ा बेकार होता है और वे विकास और भलाई के साधनों को हथियार बनाने के काम में नहीं लायेंगी और इससे परे रहेंगी। अफसोस की बात है कि दूसरे मुल्कों की समर नीति की वजह से हम पर फालतू बोझ पड़े। हम चैन से बैठने की हालत में नहीं हैं। मुल्क को हर वक्त तैयार रखने और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिये उससे भारी कुर्बानियां करने के लिये कहना ही पड़ेगा।

24. अपने नजदीक के पड़ौसी के साथ और ज्यादा आपसी विश्वास और नजदीकी दोस्ती के संबंध रखने की हमारी कोशिश जारी रही हैं। मैं अभी श्रीलंका की उपयोगी यात्रा से लौटा

हूं। इससे पहले, मैं नेपाल और इन्डोनेशिया भी गया था। भूटान नरेश जल्दी ही हमारे यहाँ आने वाले हैं। हमारे विदेश मन्त्री बर्मा, वियतनाम और थाईलैंड हो आये हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा कई बार विचारों का लाभप्रद आदान-प्रदान हुआ है। चीन के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए और कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष के दौरान चीन के विदेश मन्त्री की यात्रा के बाद सीमा और राज्य क्षेत्र के प्रश्न व दूसरे मुल्कों से और दोनों मुल्कों से संबन्ध रखने वाले मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक सरकारी डैलीगेशन बेजिंग गया था। जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, ससद को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा बहुत ही नये किस्म के हथियार हासिल करने के फैसले और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में लगातार जो अन्तर्राष्ट्रीय समाचार मिल रहे हैं, उनसे समूचा देश चिंता में पड़ गया है। बढ़िया किस्म के विमान प्राप्त करने के अपने इरादे का एलान करते हुए पाकिस्तान ने हमको सूचना दी कि वह जंग न करने का समझौता करने की इच्छा रखता है। यह एक ऐसा सुझाव है जिसे हम पिछले वर्षों में कई बार कई तरह से उसके सामने रख चुके हैं। दिसम्बर 1981 में हमने पाकिस्तान के सामने उन उसूलों की एक रूपरेखा रखी जिनके आधार पर इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिए बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान इस बातचीत को आगे बढ़ाया गया। हमने अमन और दोस्ती की अपनी इच्छा को दोहराया और साथ ही अपना यह निश्चय व्यक्त किया कि मुद्दों को दोनों देशों के बीच बातचीत से तय किया जाना चाहिये। हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने हमारे दोनों देशों के आपसी सम्बन्धों के समूचे दायरे की जांच करने, उनको नया बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों का एक कमीशन बनाने का हमारा प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।

25. हमारे महाद्वीप में दूसरी जगह तनाव बना हुआ है। अफगानिस्तान का मसला और ईरान-ईराक के बीच झगड़ा अभी तय नहीं हुआ है। फिलिस्तीन की जनता के अधिकारों में बाधा चली आ रही है। हिन्द महासागर शान्ति का क्षेत्र बनने से अभी कोसों दूर है।

26. कुछ आशा के संकेत भी हैं जैसे पिछले वर्ष नई दिल्ली में हुए गुटों से बाहर के देशों के विदेश मंत्रियों की कान्फ्रेन्स के बाद गुटों से अलग रहने के अन्दोलन में नया जोश, राष्ट्रों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देने के बारे में कामनवैल्थ मुल्कों की पहल, बरक्कीयापता और तरक्की कर रहे मुल्कों के बीच बातचीत की कोशिशों की शुरूआत जो चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो। प्रधान मन्त्री ने मेलबोर्न में कामनवैल्थ देशों की सरकारों के अध्यक्षों की बैठक में और कानकुन, मैक्सिको में सहयोग और तरक्की की इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस में हिस्सा लिया। साल के दौरान आस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फिजी, फ्रांस इटली, कुवैत, केन्या, इन्डोनेशिया, फिलिपीन्स, रूमानिया, सैशल्स स्विट्जरलैंड, टोंगा और युनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा से उन देशों के साथ दोस्ती और मजबूत हुई है। मेरे पिछले भाषण के बाद केन्या फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, गिनी, तंजानिया, ब्रिटेन, बाहरीन पी. डी. आर. यमन, जिम्बाबवे, नारू, आस्ट्रेलिया मेडागास्कर, बोतस्वाना, घाना, वेनेजुएला, उगांडा, स्पेन और स्वीडन की सरकारों या राष्ट्रों के प्रमुखों ने हमारे देश की यात्रा की है जो सबकी सब उपयोगी रही हैं। हम अगले हफ्ते प्रेसीडेन्ट नायरेरे की यात्रा और कुछ विकासशील देशों की कान्फ्रेन्स का इन्तजार कर रहे हैं। विकासशील देशों के बीच और ज्यादा सहयोग आपस में फायदेमन्द है और आगे बढ़े हुए देशों के साथ व्यवहार में उन्हें सामूहिक रूप से शक्ति मिलती है।

27. मौजूदा सत्र में बकाया काम को पूरा करने के अलावा विचार के लिए आपके सामने बहुत से विधान संबंधी नये बिल आयेंगे। उनमें यह भी शामिल होंगे—

दि लैंड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट) बिल, 1982, और इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए नेशनल वाटरवे बिल, 1982।

28. माननीय सदस्यगण, दुनिया एक बड़ी ही कठिन घड़ी से गुजर रही है। हमारे अपने भी मसले कोई कम नहीं हैं। समारी खुशकिस्मती है कि हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जिसके सामने एक भरपूर उद्देश्य है। हमारी जनता ने भी दिखा दिया है कि वह असीम धीरज से चुनौतियों का मिलकर, एकजुट होकर मुकाबला कर सकती है। जिस प्रजातंत्र में राय जाहिर करने और संगठन बनाने की आजादी की गारन्टी दी गई हो, उसमें शियासी मतभेद तो होंगे ही। लेकिन, मतभेद को फूट की भोंडी शक्ल अख्तियार नहीं करनी चाहिए। मुल्क की भलाई एक ऐसा मकसद है, है, जिसके लिए आपसी झगड़ों को भुलाकर हमें मिलकर काम करने की सीख लेनी चाहिए। हमारे पास इतनी शक्ति और साधन हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। छठे पलान के पहले दो साल ऐसे साल है, जिसमें चीजों को पक्की तौर पर जमाने की कोशिश की गई है। आइये, इस ताकत का इस्तेमाल हम प्लान के अगले तीन वर्षों को ऐसे बरस बनाने के लिए करें जिनमें हमारे कदम आगे ही आगे बढ़ते रहें।

---

## निधन संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, हम लगभग दो महीने के अन्तराल के बाद मिल रहे हैं। मुझे सभा को सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि इस सभा के विद्यमान सदस्यों, सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, मुन्दर शर्मा और मोहन लाल सुखाडिया तथा भूतपूर्व सदस्यों सर्वश्री सुमन प्रसाद पी. काक्कन, एस. सी. वेसरा, जय सुखलाल हाथी का निधन हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु पश्चिम बंगाल के डायमन्ड हार्बर निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित इस सभा के विद्यमान सदस्य थे जिनका 12 जनवरी 1982 को दिल का भारी दौरा पड़ने से जयपुर में निधन हो गया। जहाँ वह रेलवे अभि समय समिति की बैठक में भाग लेने गये थे। वह 61 वर्ष के थे।

श्री बसु सर्वप्रथम 1967 में संसद सदस्य चुने गये। वह चौथी, पांचवीं और छठी संसद के 1967-79 के दौरान सदस्य थे। वह 1973-75 के दौरान लोक लेखा समिति के तथा 1977-79 के दौरान सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे। निधन के समय वह नियम समिति कार्य-मन्त्रणा समिति तथा आवास समिति के तथा संसद की रेलवे अभिसमय समिति के भी सदस्य थे।

श्री बसु भारत-रूस मैत्री संघ के प्रधान तथा बहुत से श्रमिक सगठनों के प्रधान तथा कार्यकारी के सदस्य थे। श्री बसु महान सांसद थे तथा अपने प्रिय सिद्धान्तों के प्रति उन्हें अत्यंत निष्ठा थी। अपनी बातों पर जोर देने के लिए तथ्य एकत्रित करने तथा मामलों के विवरणों के अध्ययन में वह अत्यन्त परिश्रम करते थे। भाषा पर उनका भारी अधिकार था तथा वह अपने भाषणों तथा लेखों का अपने प्रिय उद्देश्यों के लिए जोरदारी से उपयोग करते थे।

साधारण संसद सदस्यों के प्रति उनकी सहानुभूति थी तथा उनका स्तर सुधारने, उन्हें सुविधाएं दिलाने के मामलों की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिलाया।

उनका दृष्टिकोण धर्म-निरपेक्ष था तथा वह धार्मिक सद्भाव के महान समर्थक थे। 1946 में कलकत्ता में हुए साम्प्रदायिक दंगों में उन्होंने निरन्तर कठोर परिश्रम किया तथा समुदायों में सद्भावना लाने की चेष्टा की।

राजनीति में आने से पूर्व श्री बसु का उन्नतिशील व्यवसायिक व्यक्तित्व वाले पुरुष थे। शायद यह बात भली प्रकार विदित नहीं है कि वह 'चाय' के मामले में, चाय का मूल्य निर्धारण करने में सिद्धहस्त थे।

उनकी मृत्यु द्वारा सभा ने एक निष्ठावान एवं सक्रिय सांसद खो दिया है।

श्री मुन्दर शर्मा मध्य प्रदेश के जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के विद्यमान सदस्य थे।

एक राजनीतिक एव सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया।

वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे तथा अखिल भारतीय लघु तथा मध्यम समाचार-पत्र संघ के उप-प्रधान थे और अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य थे। वह जबलपुर के हिन्दी दैनिक "नवीन दुनिया" के मुख्य सम्पादक थे।

लोक सभा में आने से पूर्व वह जबलपुर नगर निगम के महापौर थे।

उन्होंने बहुत से साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को संरक्षण प्रदान किया।

उनका निधन 26 जनवरी, 1982 को 60 वर्ष की अवस्था में बम्बई में हुआ।

श्री मोहन लाल सुखाडिया राजस्थान के उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के विद्यमान सदस्य थे तथा उनका निधन 2 फरवरी, 1982 को 66 वर्ष की अवस्था में बीकानेर में हुआ।

वह एक अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी थे, अपने छात्र-काल में उनका सम्बन्ध प्रजा मण्डल के क्रिया-कलापों के साथ रहा तथा उन्होंने छात्र तथा श्रमिक आन्दोलनों का सगठन किया। उन्होंने भारत छोड़ों आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल भी गये।

श्री सुखाड़िया 1952-71 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने थोड़ी अवधि को छोड़कर 1954-71 तक राजस्थान के मुख्य मन्त्री का कार्य भार संभाला।

वह 1972-75 तक कर्नाटक के, 1976 में आन्ध्र प्रदेश के तथा 1976-77 में तमिलनाडु के राज्यपाल रहे।

राज्यस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सुखाड़िया ने राज्य के विकास की दृढ़ नीव रखी। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाये जिसने कि धूप से तपती हुई राजस्थान की धरती को हरियाली में बदल दिया और राजस्थान अब अन्य राज्यों में अनाज भेज पाता है। उन्होंने भूमि सुधार योजनाओं को भी अपनाया। निम्न स्तर पर लोकतन्त्र के निर्माण के लिए उन्होंने पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना की।

राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विद्युतीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया तथा संचार साधनों के विकास विशेषत: सड़क परिवहन को प्राथमिकता दी।

श्री सुखाड़िया ने वास्तविक रूप से राजस्थान राज्य के विकास की नींव रखी।

इस सभा में हमें बहुत से महत्वपूर्व एवं गम्भीर मामलों पर उनके भाषण सुनने का अवसर मिला। उनका स्वभाव संतुलित था। उनकी वाणी प्रभावशाली थी तथा वह तथ्यों को अद्‌भुत शान्ति पूर्वक रखते थे।

उनकी मृत्यु के कारण राष्ट्र ने एक निष्ठावान देश भक्त, एक गतिशील प्रशासक तथा प्रसिद्ध सांसद खो दिया है।

श्री सुमत प्रसाद उत्तर प्रदेश के मुजफफरनगर निर्वाचित क्षेत्र से 1957-67 के दौरान दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। उससे पूर्व 1946-52 तक वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के तथा 1952-57 तक राज्य सभा के सदस्य थे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उनका जिले की बहुत सी सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं से संबन्ध था। वह 1923-26 के दौरान मुजफफरनगर म्युनिस्पल बोर्ड के प्रधान रहें। उन्होंने स्वतंत्रा संग्राम में भाग लिया। तथा जेल भी गये।

उन्होंने ग्रामीण उत्थान तथा शिक्षा के सवर्धन कार्य में विशेष रूचि ली और जेल भी गये।

उनका निधन 23 दिसम्बर, 1981 को मुजफफरनगर में 88 वर्ष की अवस्था में हुआ।

श्री पी. काक्कन 1946-50 और 1952-57 के दौरान क्रमशः संविधान सभा के तथा पहली लोक सभा के मद्रास राज्य के मदुरै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से निवाचित सदस्य थे।

एक व्योवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने स्वतत्रता संग्राम में भाग लिया तथा जेल भी गये।

एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों, ग्राम कल्याण, खादी तथा ग्रामोद्योग तथा प्रौड शिक्षा के लिए कार्य किया।

उनका निधन 23 दिसम्बर 1981 को मद्रास में 72 वर्ष की अवस्था में हुआ।

श्री एस. सी. बेसरा 1962-77 के दौरान तीसरी, चौथी तथा पांचवी लोक सभा के बिहार के डुमका (आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित्त सदस्य थे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य किया तथा अस्पृश्यता के विरूद्ध संघर्ष किया। हरिजनों तथा आदिवासियों के मन्दिर प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने मैथान बाँधू से व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी कार्य किया।

शिक्षा श्रमिक-कल्याण तथा अविकसित समुदायों में उन्होने विशेष रूचि ली।

उनका निधन 59 वर्ष की अवस्था में बिहार के संथाल परगना जिले के काशीतारण ग्राम में 15 जनवरी 1982 को हुआ।

श्री जय सुखलाल हाथी संविधान सभा के, अन्तरिम संसद तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। 1952-57 और 1962-74 के दोरान वह राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होने भारत सरकार में बहुत से प्रतिष्ठित पदों को

संभाला। 1952 में वह सिंचाई और ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री नियुक्त हुए, 1967 में वे श्रम तथा पुनर्वास मंत्री के रूप में मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री बने, जो भार कि उन्होंने 1969 तक संभाला जिन अन्य विभागों को उन्होंने संभाला उनमें पूर्ति तथा तकनीकी विकास गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, रक्षा पूर्ति मंत्री तथा रक्षा मंत्रालये में राज्य मंत्री के पद सम्मिलित थे।

1967-69 के दौरान वह राज्य सभा में सभा के नेता थे। वह पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में उन्होंने संसदीय कार्यवाही में विशेष रूचि ली। उनका कई सांस्कृतिक संगठनों, जिनमें भारतीय विद्या भवन और सार्वजनिक कार्यों तथा प्रशासन पर राजाजी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, भी सम्मिलित हैं।

उनका निधन 73 वर्ष की अवस्था में 2 फरवरी, 1982 को बम्बई में हुआ।

इन मित्रों के निधन पर हम गम्भीर शोक व्यक्त करते हैं।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : अध्यक्ष महोदय, इस अन्तरसत्रावधि में काल के क्रूर हाथों ने हमारे कई सम्मानित साथियों को हमसे छीन लिया है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया एक बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय नेता थे। वह अपनी योग्यता निष्टा एवं अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे। स्वाधीनता के पश्चात् उन्होंने कई उच्च पदों को सुशोभित किया और एक श्रेष्ठ प्रशासक सिद्ध हुए। उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता माता जाता है। राज्यपाल के रूप में उन्हाने बहुत से अन्य राज्यों को भी मार्गदर्शन दिया। उनके निधन से न केवल हमारी पार्टी अपितु पूरी सभा तथा समूचे राष्ट्र की क्षति हुई है।

एक और वयोवृद्ध नेता श्री जयसुखलाल हाथी थे। वह कई वर्षों तक सरकारी पक्ष में रहे और अपनी कुशलता का परिचय दिया। वह स्वभाव से ईमानदार और स्थिर चित्त व्यक्ति थे। उन्होंने राज्य में तथा केन्द्र में बहुत से दायित्व निभाये। श्री हाथी हमेशा विवाद से अलग रहते थे।

दूसरी ओर श्री ज्योतिमय बसु थे जो विवाद प्रिय थे, पसन्द करते थे। वह सबसे अधिक श्रमशील संसद सदस्य थे। वह दृढ़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा बल पूर्वक अपनी बात कहते थे।

श्री सुन्दर शर्मा एक वरिष्ट समाजिक कार्यकर्त्ता, पत्रकार थे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया।

श्री पी. काक्कन इस सभा के सदस्य के अलावा तमिलनाडु के मंत्री भी रहे।

श्री सुमन प्रसाद और श्री एस. सी. वेसरा ने इस सभा की निष्ठापूर्वक सेवा की महोदय, आपने जो सम्वेदनाएं व्यक्त की हैं उसमें मैं भी आपके साथ हूं और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि दिवंगत साथियों के परिवारों तक मेरी शोक भावनायें पहुंचायें,।

**श्री ई. बालानन्दन (मुकुन्दपुरम)** : मैं भी दिवंगत नेताओं के प्रति आप के द्वारा तथा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्ति की गई भावनाओं से सहमत हूं वे श्रेष्ठ व्यक्ति थे और उन्होंने इस मध्य सभा में सेवा की थी। आप उन महत्पूर्ण कार्यों का जिक्र कर ही चुके हैं, जो उन्होंने किए।

मैं श्री ज्योतिमय बसु के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा, जो विपक्ष के एक ऐसे सदस्य

थे, जो उन प्रश्नों को जोरदार ढंग से इस सभा में रखते थे जो वे उठाना चाहते थे। प्रजातंत्र में विपक्ष को एक प्रभाव शाली भूमिका निभानी चाहिए और श्री ज्योतिमय बसु का नाम निस्संदेह उस भूमिका को निभाने के लिए याद रखा जायेगा। एक अच्छी नौकरी छोड़कर वह राजनीति में आये और वे जीवन पर भ्रष्टाचार से दूर ही रहे। वह भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने वाले योद्धा थे। उस बात को कोई नहीं भूल सकता। जैसे कि आप यहां कह चुके हैं, वह समितियों के विशेषकर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा लोक लेखा समिति के कई पदों पर रहे। समिति में किए गए उनके कामों को हमेशा याद रखा जाएगा और ये काम हर अन्य सदस्यों के लिये आर्दश बने रहेंगे।

श्री ज्योतिमय बसु शून्यकाल में एक उत्तम स्थिति में होते थे। उस शून्यकाल में उन्हें देखना बहुत अच्छा लगत था। मैं अनुभव करता हूं कि संसद के शून्यकाल में हमें उनकी गैर हाजरी खटकती रहेगी। सभा शून्यकाल में उस सक्रिय व्यक्ति से वंचित हो गयी है।

मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उन्हें अपनी राजनैतिक विचारधाराओं के लिए आपत्तकलीन स्थिति के दौरान जेल की सजा भोगनी पड़ी। फिर भी वह आगे बने रहे वह देश के लोगों विशेषकर देश के पददलिन लोगों के कल्याणंथ एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। मेरे दल ने तथा स्वयं मैंने एक अच्छा नेता तथा साथी खोया है। अन्य दिगवंत नेता श्री मोहन लाल सुखाड़िया का भी जिक्र किया गया है। आपका उनसे मतभेद हो सकता था लेकिन इस सभा में उनका कार्य बहुत सशक्त तथा बहुत संगत होता था। वह सभा के सर्वोत्तम सांस्दयों में से एक थे।

मैं इस सभा में दिवगत नेताओं के प्रति व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं और मैं तथा मेरा दल उनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनायें प्रकट करते हैं।

**श्री सी. टी. दंडपाणि** (पोल्लाची) : मैं आप तथा माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं और मैं भी सभा के दिवगत सदस्यों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं।

कुछ वर्तमान सदस्य अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका निधन सभा तथा उनके दल के लिये बहुत बड़ी हानि है।

श्री ज्योतिमय बसु मजदूर संघों के समर्थक थे। वह मजदूर संघों के हितों के बारे में आवाज बुलंद करते थे। सभा से बाहर वह एक अच्छे आदमी थे। श्री ज्योतिमय बसु एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। यह संयोग की बात है कि उनका निधन उस समय जब वह अपने काम में व्यस्थ थे और जब वह अपने कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। वह अपने जीवन के आखिरी दिन तक कर्तव्यनिष्ट रहे और अपनी पूरी योग्यता के साथ करते रहे।

एक अन्य महत्वपूर्ण माननीय सदस्य, जिनका निधन हुआ, श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे जो एक बार तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे थे, वह एक सक्रिय प्रशासक थे। निस्संदेह आरम्भ में एक इन्जीनियर थे और बाद में वह सक्रिय प्रशासक बन गये। वह आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे।

श्री सुखाड़िया ने इस सभा में वादविवाद के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह हिन्दी के एक अच्छे वक्ता थे। पिछले सत्र के दौरान हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा कुछ अन्य बातों पर उनका भाषण सुना जो बहुत दिलचस्प था और उनका भाषण सुनकर बहुत प्रसन्नता होती थी। उनका निधन इस सभा तथा देश के लिये एक ऐसी बड़ी हानि है जो पूरी नहीं हो सकती।

एक अन्य सदस्य श्री सुन्दर शर्मा, जिनका निधन हुआ, एक पत्रकार थे; वह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री हाथी यहां मंत्री रहे और मुझे इसी सभा में उनके उत्तरों के सुनने का सौभाग्य मिला था।

तमिलनाडु के श्री काक्कन, एक सच्चे गांधीवादी थे; वहपूर्णतः ईमानदार थे; वह तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और हरिजन समुदाय के नेता थे।

इन सभी दिवंगत नेताओं का अपना अपना जीवन ढंग था; श्री ज्योतिमय बसु एक सैनिक थे; श्री मोहनलाल सुखाड़िया एक इन्जीनियर थे; श्री हाथी न्यायिक अधिकारी थे; श्री मुन्दर शर्मा एक पत्रकार थे और श्री काक्कन हरिजन समुदाय के नेता थे। दो अन्य सदस्यों का निधन भी हुआ है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी हार्दिक संवेदनायें पहुंचायें।

**श्री रशीद मसूद** (सहारनपुर) : मोहतरिम स्पीकर साहब, आज हम अपने जिन साथियों के इन्तकाल पर इजहारे ताजियत के लिये खड़े हुये हैं उनमें से कुछ तो वे लोग हैं जिनसे जातीयतौर पर मैं वाकिफ नहीं हूं और कुछ मेरे ऐसे साथी हैं जिन से मैं जातीयतौर पर वाकिफ हूं। जिनसे मैं जातीयतौर पर वाकिफ नहीं हूं उनकी खूबियात मैंने सुनीं और उनके बारे में सभी लोगों ने कहा। लेकिन दो शख्सियात ऐसी रही हैं एक बसु साहब और दूसरे सुखाड़िया साहब जिन से इस पार्लियामेंट में ताल्लुकात रहे और बसु साहब से तो पिछली पार्लियामेंट में भी ताल्लुकात रहे थे।

बसु साहब अपोजिशन के एक अच्छे लीडर थे। उनकी आज हमें बहुत सी बातें याद आती हैं खास तौर पर उस वक्त याद आती है जबकि अपोजिशन के प्वाएंट आफ व्यू से टेक्टिक्स को इस्तेमाल करने की बात आती है कि किस तरीके से उसे इस्तेमाल की जानी चाहिये। वे यहां बैठा करते थे और हम भी यहां पर उनके पास बैठा करते थे। वे यहां बैठ कर हमें बतलाया करते थे कि आप ऐसा कीजिये, आप ऐसा कीजिये।

मझे आई. एण्ड बी. की कन्सलटेटिव कमेटी की बात भी याद आती है जिसमें कि हम लोग साथ साथ थे। पिछली मर्तबा हिन्दी न्यूज एजेन्सीज के एक सिलसिले को ले कर किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेजी बनायी थी और हमें उस मामले पर फाईट करने के लिये कहा था। हमने उस कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग से वाक आऊट किया था और उसके बाद हमने देखा कि उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ा था।

हम लोग जो नये मेम्बर हैं, जूनियर लोग हैं इस पार्लियामेंट में, उनके ताल्लुकात पुराने मेम्बरों से अच्छे रहे हैं। सुखाड़िया जी के बारे में मुझे याद आता है। कि पिछले सेसन में सुखाड़िया जी ने अपनी तकरीर में हमारे लीडरों पर कुछ तनकीद की। उसके बाद मैंने भी तनकीद की। लेकिन जब हम हाउस से बाहर निकल कर लाबी में गए तो उधर से सुखाड़िया जी आ रहे थे, इधर से मैं जा रहा था, उस वक्त मैंने सुखाड़िया जी से कहा कि आप उम्र में मुझ से बहुत बड़े हैं लेकिन इत्तिफाक की बात है कि हम दोनों वकील हैं और दोनों को अपनी-अपनी बात पार्लियामेंट में रखनी पड़ती है। इस पर उन्होंने मोहब्बत और बड़प्पन के साथ मुझ से कहा कि रशीद अभी तो तुम नौजवान हो, ऐसे बहुत से मामलात होते रहते हैं जिन्हें हमें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। यह उनके बड़प्पन का इजहार है।

मैं स्पीकर साहब, आपके जरिए से अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से उन मरहूमीन के अजीजों से ताजियत का इजहार करता हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जब हम नये सत्र में एकत्र हुये हैं तो हमारे कुछ पुराने साथी हमारे बीच में नहीं हैं श्री ज्योतिमय बसु नहीं हैं, सुखाड़या जी नहीं हैं और श्री मुन्दर शर्मा भी अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। आप उनकी सीटें भर देंगे, उपचुनावों में रिक्त निर्वाचन क्षेत्रों से भी प्रतिनिधि आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के जाने से ऐसा स्थान खाली हो जाता है जो शायद कभी भरा नहीं जा सकता। स्थान भरने की प्रक्रिया तो चलती रहेगी। शायद संसार का यही क्रम है, जीवन का यही नियम है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। श्री ज्योतिमय बसु हमें बार-बार याद आएंगे। जैसा राज्य सभा में श्री भूपेश गुप्त के निधन से उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, ज्योतिमय बसु का व्यक्तित्व भी संसद की एक विशेषता में शामिल हो गया था। ऊपर से कठोर, क्रुद्ध दिखाई देने वाले ज्योतिमय भीतर से बहुत सहृदय थे-सरस थे। फौज से राजनीति में आये थे, लड़ना उनके स्वभाव में था झुंझार थे, एंटी एयर क्राफ्ट बटालियन में काम करत थे, शिकारी थ। एक एक वार निशाना तय कर लेते थे तो फिर उस निशाने को वेधने की पूरी कोशिश करते थे। कभी-कभी ऐसा लगता था कि वे सीमा लांघ कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी दिखाई देता था, अध्यक्ष महोदय कि थोड़ी सीमा लाघने के बाद वे फिर सीमा में आ जाते थे। व्ययंग के साथ विनोद, तथ्य के साथ तेजी, तर्क के साथ तुर्शी एक ऐसा मिलाजुला व्यक्तित्व था जो आसानी से दिखाई नहीं देता।

पब्लिक एकाउंटस कमेटी के चेयरमैन के नाते उन्होंने अफसरों में एक तहलका मचा दिया था। अपने कर्त्तव्य को समझते थे और उसे पूरा करने की कोशिश करते थे।

पिछले सत्र में जब वे दिखाई नहीं दिये तो मैंने पश्चिम बंगाल के मित्रों से पूछा ज्योतिमय कहाँ हैं उन्होंने बताया कि बीमार हैं। फिर खबर लगी कि अच्छे हो गए हैं। पूरे सत्र में नहीं आये मगर जयपुर रेलवे कन्वेंशन कमेटी की मीटिंग में भाग लेने के लिये पहुंच गये। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि कोई विधि का विधान है या नहीं, मगर बीमारी ने कलकत्ते से दिल्ली नहीं आने दिया, मगर मौत कलकत्ते से जयपुरले गई।

सुखाड़िया जी अभी-अभी लोकसभा में आये थे। मंजा-मंजाया व्यक्तित्व, तपे हुये नेता-नौजवान उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रजामंडल में जब रियासत में उत्तरदायी शासन के

लिये वे लड़ रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि साल 17 साल राजस्थान का मुख्यमन्त्री बनूंगा, राज्यपाल बनूंगा या संसद में जाऊंगा, मगर देश को स्वाधीन करने की प्रेरणा उन्हें जवानी में मैदान में खींच लाई थी। परिश्रम से आगे बढ़े।

श्री मुन्दर शर्मा संसद में अधिक सक्रिय नहीं थे, उनकी गतिविधियां बाहर ज्यादा थीं, लेकिन अच्छे मित्रों में से थे।

श्री जय सुखलाल हाथी के निधन से एक बड़ा सौम्य व्यक्तित्व हम लोगों में से चला गया। जिन लोगों को "अजात शत्रु" कहा जाता है, उनकी श्रेणी में जय सुखलाल हाथी को हम रख सकते हैं।

और भी हमारे साथी हम से विलग हुये हैं। अपने और अपने दल की ओर से उनकी स्मृति में मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझ से पहले जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनके साथ भी मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

**प्रो. मधु दण्डवते** (राजापुर) : मुझे पांचवी, छठी तथा सातवीं लोकसभा के दौरान श्री ज्योतिमय बसु के साथ रहने का अवसर मिला है। इस ओर से न तो हम और उस ओर से न ही अध्यक्षपीठ इस बात पर विश्वास करेंगे कि अब 12 बजे हम श्री ज्योतिमय बसु की आवाज नहीं सुनेंगे। वह सचमुच इस लोक सभा के एक ओजस्वी वक्ता थे। छठी लोक सभा सचमुच एक सांसद के नाते उनके गौरव तथा उपलब्धियों की पराकाष्ठा थी। मैंने कहा कि वह इस लोक सभा के ओजस्वी वक्ता थे। अपना योगदान करने तथा हर प्रकार के अन्याय के प्रति इस सभा का रोष व्यक्त करने के लिए वह सदा खड़े होते थे। लोक सभा के पिछले सत्र के आखिरी दिन वह केवल एक ही बार इस सभा में आये थे। मैंने उनसे कहा, 'ज्योति' आपका स्वास्थ्य कैसा है। उनका उत्तर था 'मैं इसी अर्थ में जिन्दा हूं कि मैं मरा नहीं, श्री बसु के उस उत्तर से मुझे संकेत मिला कि वह सचमुच इस बात को अनुभव कर रहे थे कि वह मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और अन्ततः मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें उठा लिया। जब मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें हमारे बीच से उठा लिया है तो हम विपक्ष के लोग अनुभव करेंगे कि हमारा एक बाजू कट गया है और हमारे लिये यह एक विकलांग वर्ष होगा। मैं लगातार पिछली तीन लोक सभाओं से श्री ज्योतिमय बसु को इस सभा में गर्जते हुऐ, आंकड़े देते हुये और अकाट्य तर्क देते हुये देखता आया हू लेकिन साथ साथ उनके दिल में किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता था। जब वह तथ्यों तथा आंकड़ों को सामने रखते थे और इस सभा में गर्जते थे तो हम विपक्ष के लोग उनके कार्य की सराहना करते थे और सत्तारूढ़ दल चकित रहता था। मैं उन दिनों की याद करता हूं जब जनता सरकार गिरी थी, मुझे ज्योतिमय बसु के शब्द याद हैं—उन्होंने अपने मित्रों तथा आलोचकों को कहा कि "आप जनता सरकार को गिराने के लिये एकत्र हो सकते हैं लेकिन आप लोगों में से कोई भी सत्ता में नहीं आयेगा। केवल श्रीमती गांधी ही सत्ता में आयेगी। उनकी भविष्यवाणी ठीक सिद्ध हुई और श्रीमती गाँधी सत्ता में आगयीं। श्री ज्योतिमय बसु की भविष्य-वाणी वैसी थी। आपातकालीन स्थिति के दौरान जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। हम सब जेल गये थे। हम जानते हैं कि जेल से किसी को आजादी की आकांक्षा नष्ट नहीं होती इससे हमेशा आजादी की आकांक्षा मजबूत होती है, ज्योतिमय बसु के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी आकांक्षा कभी कमजोर नहीं हुई, जिसका सबूत इस सभा में मिलता था, ज्योतिमय बसु का

योगदान ऐसा था। हमें उनकी बहुत याद आयेगी। उनकी याद समूची सभा को आयेगी। जिनकी वे आलोचना करते थे वे लोग भी सत्र समाप्त होने के बाद, हमेशा उनके चमत्कारी संसदीय कार्यों की सराहना करते थे।

अनेक अवसरों पर, जब अनेक संवैधानिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठते थे तो वह हमेशा अध्यक्षपीठ की सहायता के लिये आकर आपको कहते थे कि वास्तव में समाधान क्या है। इस प्रकार का उत्तम साँसद और योद्धा अब हमारे बीच नहीं है।

आज सुखाड़िया जी भी हमारे बीच नहीं हैं। प्रशासनिक प्रतिभा के अतिरिक्त, वह सभा की चर्चा में अकाट्य तर्क भी लाते थे। अनेक अवसरों पर, जब हमने उस ओर से एक शांत और सुनियोजित ढंग से कोई चर्चा शुरू की तो केवल सुखाड़िया जी ही अपने स्थान से उठकर खराब परिस्थितियों में भी अकाट्य तर्क देते थे और एक कठिन से कठिन मामले को बनाने की कोशीश करते थे। उनके तर्क अकाट्य होते थे। वे व्यग्य भी करते थे, मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं। जब इस सभा में विशेष वाहक बंधपत्र विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो सत्तारूढ़ दल के सदस्य होने के नाते उन्होंने कहा था कि वह इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी शंका भी प्रकट की थी। उन्होंने कहा था—"मुझे केवल इतनी आशंका है कि यदि काले धन वाले लोग यह अनुभव करें कि ऐसे बांड बार-बार जारी किये जायेंगे तो उस स्थिति में नये काले धन से प्रजनन के लिये एक और नया प्रोत्साहन मिलेगा। सत्तारूढ़ दल को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। उन्होंने वैसा कहा था। वह एक निष्ठावान तथा कर्त्तव्यनिष्ठ कांग्रेसी थे लेकिन वह अपनी निष्ठा को चातूकारिता में कभी भी नहीं बदलते थे। उनकी विशिष्ठतायें ऐसी थीं, जब विपदा आती है तो अकेली नहीं आती। जिस दिन हनने सुखाड़िया जी की मृत्यु का समाचार सुना तो हमने यह दुखद समाचार भी सुना कि हाथी जी भी हमें छोड़कर चले गये हैं। मुझे पुनः राजाजी इण्टरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक अफेअर्स में उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, तथा क्योंकि हाथी जी का नाम उस प्रसिद्ध फार्मेसी तथा औषधि उद्योग सम्बन्धी समिति के साथ जुड़ा था अतः इस सदन में पैट्रोलियम तथा रसायन पर होने वाले प्रत्येक वाद-विवाद में हाथी जो के नाम का सदैव उल्लेख किया जाता। परन्तु अपने जीवन के अन्त में उनकी रूचि संसदीय गतिविधियों में रही।

महोदय आपको यह जानकर खुशी होगी कि उनका अन्तिम सपना यह था कि हम संसद की कार्यवाही को अधिक सम्पन्न बनायें तथा अधिक सार्थक और समय के अनुरूप बनायें। यह एक सपना था और यहि हम सच्ची व चिरस्थायी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हम यह तभी कर पायेंगे जब हम अपनी संसदीय कार्यवाही को अपने समय के संगत बनायेंगे और हाथी जी को अर्पित की गयी वह सर्वोत्तम श्रद्धांजलि होगी।

महोदय हमारे कुछ अन्य साथी भी स्वर्ग सिधार गये हैं और मैं आपके साथ, अन्य नेताओं तथा प्रधान मंत्री जी के साथ उन सबको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा मैं निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें पहुंचायी जाये।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : महोदय, आपके द्वारा तथा प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से सहमति व्यक्त करता हूं। हमारे साथी श्री ज्योतिमय बस अब हमारे बीच में नहीं हैं तथा इस लोक सभा में अब उनका न रहना

हमें महसूस हो रहा है। ज्योतिमय बसु श्रमिकों के तथा विशेष कर हमारे क्षेत्र की जनता के हिमायती थे। ऐसे समय में जब कि वामपंथी एकता अंकुरित हो रही है और यह एक वास्तविकता बनने जा रही है यह वास्तव में एक दुखद घटना है कि कामरेड ज्योतिमय बसु हमारे बीच नहीं रहे।

श्री सुखाड़िया के विषय में आपने, प्रधान मंत्री ने तथा हमारे दूसरे साथियों ने जो कुछ भी कहा है मैं उसने पूर्ण रूप से सहमत हूं। हमने उनको कांग्रेस की तरफ से ऐसे मुद्दों पर वादविवाद करते हुए देखा है जिनमें हमारे अनुसार कोई सार नहीं था, परन्तु सदैव हमें यह पता चला कि वे सभा में कांग्रेस दल के पक्ष के सबसे बड़े प्रतिपादक थे।

महोदय मैं अन्य सदस्यों व साथियों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचायी जायें।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम श्री ज्योतिमय बसु को लोक-सभा की, संसद् की ज्योति के रूप में कहे तो मैं समझता हूं कि यह गलत न होगा। जिस तरह संसद में सजग प्रहरी के रूप में अंतिम समय तक वह संघर्ष करते रहे, वहाँ देश के लोगों की समस्याओं को, उनके मन की आवाज को संसद तक लाने और संसद् की बात को लोगों के मन तक पहुंचाने में उन्होंने हमेशा इस तरह का काम किया, जिसके लिये संसद् हमेशा उनकी कर्जदार रहेगी और हमें उनकी याद आती रहेगी।

उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने देश के बड़े मुद्दों पर संसद् और देश का ध्यान दिलाया है, आज एक ऐसे सदस्य के अपने बीच में न रहने पर हमें महान दुःख है। उन्होंने एक कुशल सांसद के रूप में जो कुछ हमें दिया है, संघर्ष की प्रेरणा दी है, प्रजातंत्र के लिये संसद् में बैठ कर विरोधी-पक्ष की तरफ से सचाई के लिये लड़ने और भ्रष्टाचार के प्रति संघर्ष करने का जो साहस उन्होंने हमको दिया है, उस साहस से अगर हम कुछ कर पाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

जहां तक सुखाड़िया जी की बात है, वह एक कुशल प्रशासक थे। जब भी उनसे बातचीत होती थी, वह बहुत ही निष्पक्ष रूप से बात करते थे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी कमी हमको खटकती है और वह कमी पूरी नहीं हो पायेगी। उनमें भक्ति नहीं थी, न्याय और सही दर्शन पर आधारित तर्क था। भक्ति पर उनका कम विश्वास था और सही रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर चलने पर उनका ज्यादा विश्वास था।

प्रेस की आजादी के लिये हमेशा संघर्षरत रहने वाले श्री मुन्दर शर्मा ने प्रेस जगत की स्वतंत्रता के लिए बराबर संघर्ष किया। सदन के बाहर और यहां पर जन-प्रतिनिधि के रूप में जनता की समस्याओं को ले कर वह जो संघर्ष करते रहे, वह हमेशा याद रहेगा।

एक कुशल प्रशासक, श्री जयसुख लाल हाथी, पिछड़े वर्ग के नेता, काक्कन साहब, श्री सुमत प्रसाद और बेसरा साहब, जिन्होंने हरिजनों की बराबर सेवा की, अब सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए और इन वर्गों के लिए जो कुछ किया है, वह सदैव सराहनीय रहेगा। सदन के इस दुख में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी और मैं भी शामिल हूं। हम भगवान् से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इनके कामों से हमेशा प्रेरणा लेते रहें।

**श्री के. पी. उन्नीकृष्णन्** (वडागरा) : महोदय, जिन विद्यमान तथा भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर हम शोक व्यक्त कर रहे हैं उनके दुखद निधन से संसदीय जीवन का स्तर घट गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु के विषय में, उस सूनेपन का आभास, जो हम विशेषरूप से हम विपक्ष के सदस्य महसूस कर रहे हैं, अनुभव किये बिना कुछ कहना कठिन है।

उनका मस्तिष्क उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता था जिनको वे प्राप्त करने के योग्य समझते थे, चाहे वह राष्ट्रीय एकाधिकारियों के विरुद्ध हों या अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों के विरूद्ध या उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध या फिर श्रमिक वर्ग के प्रजातांत्रिक अधिकारों की हिमायती हो श्री ज्योतिर्मय बसु एक साँसद की अपेक्षा धर्म योद्धा अधिक थे या एक दल प्रवक्ता होने की अपेक्षा जन नेता अधिक थे।

महोदय, उस समय जब वे जयपुर के लिए रवाना हो रहे थे और मैं उनके साथ बात कर रहा था तो यह जरा भी महसूस नहीं हुआ कि यह हमारी अन्तिम बारी थी। उस दिन वह कह रहे थे कि वह ठीक हो जायेंगे यद्यपि उन्हें अपने स्वास्थ्य की सम्भावनाओं पर सन्देह हो रहा था।

उच्च स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत ही निर्दयता के साथ बिना किसी घृणा के प्रकट किया।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया वह बहुत ही बड़ा था। केवल एक बार उनके घर जाने से ही यह पता चल जायेगा कि उन्होंने अपने संसदीय कार्य के लिए कितना कार्य किया है तथा वह ऐसा कार्य है जिसका अनुसरण हम छोटे सदस्यों को करना चाहिए।

उनका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किया गया कार्य भी बहुत लम्बे समय तक याद किया जायेगा।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया जागीरदारी विरोधी संघर्ष के एक महान मार्ग दर्शक थे। उन्होंने केवल राजस्थान से विभिन्न देशी राज्यों की विषम राजनैतिक प्रथाओं को एक किया बल्कि उनको समेकित भी किया और वह सही अर्थों में आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। वह एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनको राष्ट्रीय संघर्ष के फलस्तरूप बनी हमारी संस्थाओं के भविष्य में बहुत अधिक रूचि थी।

श्री अटल विहारी वाजपेयी ने यह ठीक ही कहा है कि जयसुख लाल हाथी एक "अजात शत्रु" थे। उनके साथ कार्य करना एक सौभाग्य की बात थी। और मुझे याद है कि जब वे संसद में काँग्रेस दल के उपनेता थे उन्होंने युवा सदस्यों का अधिक ध्यान रखा तथा उनके अन्दर लोगों तथा उनकी समस्याओं से सुलझने के लिए बहुत अधिक योग्यता थी। उनमें अत्यधिक योग्यता थी जिसको उन्होंने हमेशा अपनी विनम्रता में छुपाए रखा। एक प्रशासक के रूप में उनका कार्य लम्बे समय तक याद किया जायेगा।

महोदय, श्री काक्कन को मुझे अपने बचपन से ही जानने का विशेष मौका मिला था। वह हमारे साथ रहा करते थे। वह स्व. श्री कामराज के विश्वसनीय अनुयायी थे। वह अपने

पूरे जीवन एक सच्चे कांग्रेसी तथा गांधीवादी थे। उन्होंने दक्षिण में तमिलनाडु के पददलित वर्ग के लिए जो सेवायें की वे लोगों को हमेशा याद रहेंगी।

महोदय मैं भी आपके साथ दूसरे विशिष्ट सदस्यों की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करता हूं तथा आपके व प्रधान मंत्री के साथ वैसी ही भावनायें प्रकट करता हूं।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा तथा प्रधान मन्त्री द्वारा गतात्माओं के लिए व्यक्त भावों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। वे महान व्यक्तित्व सम्पन्न समर्पित योद्धा, प्रतिष्ठित प्रशासक तथा योग्य सांसद थे। जहाँ तक श्री ज्योतिर्मय बसु का सम्बन्ध है, वह वास्तव में ही इस सभा के हृदय के समान थे और हमेशा एक महान कार्य के लिए लड़ा करते थे। उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई की। सभी अन्यायों के विरूद्ध लड़ते थे। इससे भी वे अधिक अल्प संख्यकों के मित्र थे। अतः हम सब उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं और हम समझते हैं कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।

जहां तक सुखाड़िया जी का सम्बन्ध है, वह एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे तथा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न पदों पर देश की सेवा की। मेरे साथी श्री उन्नीकृष्णन ने ठीक ही कहा है कि वह आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे उनके निधन से भारत माता ने एक महान बेटे को खो दिया है।

जहां तक श्री जयसुख लाल हाथी का सम्बन्ध है मेरा उनके साथ, इससे पहली लोकसभा में रहने का सौभग्य रहा है. मैंने उनको हमेशा मन और मस्तिष्क के उच्च गुणों वाला व्यक्ति तथा एक अच्छे तथा गम्भीर आचरण वाला व्यक्ति पाया। श्री सुन्दर शर्मा भी दलित वर्ग के हिमायती थे तथा जहां तक श्री पी काक्कन का सम्बन्ध है वह एक सच्चे गांधीवादी थे तथा हमेशा दलित तथा कमजोर वर्गों के लिए लड़ते रहे। महोदय मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है वे सब महान व्यक्ति थे, हम उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा दुख तथा हमारी संवेदनायें शोक संतप्त परिवारों को भेजी जायें।

**श्री पीयूष तिरकी** (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और प्रधान मन्त्री के साथ शामिल हो करके जो साथी हमें छोड़ कर आज चले गए उनके प्रति श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं और उनमें से जो हम से कुछ निकट सम्पर्क में आए थे उनके सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहता हूं। ज्योतिर्मय बसु जैसा उनका नाम था उसके अनुरूप ही उनके काम से उसका पूरा-पूरा ताल्लुक था। जब वह मिलट्री में थे, उस समय भी जिसजगह में थे वहाँ भी वह ज्योति ही दि... करते थे, पार्लियामेंट में भी वह ज्योति ही थे, आज उस ज्योति को इस पार्लियामेंट ने ही ... दिया है और हमें तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि हम कुछ अन्धकार में पड़े हुए हैं। उनकी जो सूझ बूझ थी उसमें सारे देश में वर्किंग क्लास की यूनिटी का जो स्वप्न था कि वर्किंग क्लास की सरकार बनेगी जिसके लिए कि वह निरन्तर चेष्टा किया करते थे, उनके न रहने से आज उसको धक्का लगा है विशेषकर वामपंथियों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का है। विशेषरूप में पश्चिम बंगाल के लिए और केरल के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आज ज्योतिर्मय बसु होते तो इस सभा में कौन सी उनकी चाल होती और कौन सी बात वह यहां

कहते जबकि केरल में स्पीकर की गवर्नमेंट अभी चल रही है···(व्यवधान) पश्चिम बंगाल में एलेक्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है ··(व्यवधान)···

**कुछ माननीय सदस्य** । कोई राजनीति नहीं···

**श्री पियूष तिरकी** : ऐसी अवस्था में ऐसी चीजें वह हम लोगों को दे सकते थे । मैं इसके लिए बहुत दुख प्रकट करता हू ।

मोहन लाल सुखाड़िया से मुझे मिलने का मौका मिला। वह बहुत स्वाभिमानी थे। उनको पश्चिम बंगाल के गवर्नर के लिए भेजा जा रहा था किन्तु अपने स्वाभिमान के कारण उन्होंने वहां जाने से इनकार किया, इसलिए कि वह समझते थे कि वह अपनी जगह में ही रह कर इस संसद की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेंगे। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आप से अनुरोध करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) महोदय, मैं आपके द्वारा प्रधान मन्त्री द्वारा तथा दूसरे साथियों द्वारा श्री ज्योतिमय बसु, श्री मोहनलाल सुखाड़िया श्री जयसुख लाल हाथी तथा अन्य महान व्यक्तियों के निधन पर व्यक्त की गई गहन दुख की भावनाओं में शामिल होता हूं।

महोदय, जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु का सम्बन्ध है जो उच्च गुण उन्होंने इस सभा में प्रदर्शित किये हैं आप सभी उसके साक्षी हैं। वह एक दर्लभ गुणों वाले उच्चकोटि के सांसद थे। वह केवल इस सभा के नियमों, प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं की ही अच्छी जानकारी नहीं रखते थे बल्कि उनका दृष्टिकोण भी विस्तृत था तथा उन्होंने नौकरशाही तथा प्राधिकारियों के कुकृत्यों को उघाड़ने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया तथा देश की जनता के अधिकारों की हिमायत के लिये संघर्ष किया। वह इस सभा के सदस्यों के अधिकारों व विशेष अधिकारों के प्रहरी थे। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिये कि श्री ज्योतिमय बसु ने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार के कुकृत्यों को उघाड़ते समय किसी के प्रति व्यक्तिगत घृणा या दुश्मनी नहीं रखे थे। उन्होंने जो भी किया वह लोगों तथा संसद के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना से किया वह संसद के इतिहास में एक सबसे अधिक कठिन परिश्रमी सांसद रहेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि वह सभा के सभी वर्गों से सम्बन्धित सदस्यों के लिए यदि वे सदन में अपनी जिम्मेदारियों को उचित तरीके से निबाहना चाहते हैं अनुकरणीय रहेंगे। आम धारणा यह है कि वह सदन में ही कुशल वक्ता थे अथवा केवल मात्र कुशल संसदविज्ञ थे, परन्तु बात ऐसी नहीं है । उनमें एक संसदविज्ञ के ही गुण नहीं थे अपितु वह देश के लाखों श्रमिकों की रक्षा के काम में भी सक्रिय थे। वह अनेकों श्रमिक संघों के संगठनकर्त्ता थे। उन्होंने हमारे देश में लोकतंत्र और समाज वाद की रक्षार्थ अपने जीवन में अनेक संघर्ष किये। वह किसानों के हितों के महान चैम्पियन थे और जैसा कि आप जानते ही होंगे, उन्होंने स्वयं अपने चुनाव क्षेत्र के विकास कार्य में उल्लेखनीय ढग से रूचि ली थी।

प्रत्येक संसद सदस्य का न केवल सदन की सेवा करने का उत्तरदायित्व होता है, परन्तु अपने चुनाव क्षेत्र की सेवा करने का भी उसका उत्तरदायित्व होता हैं श्री ज्योतिमय बसु ने इस क्षेत्र में भी महान कार्य किया।

ज्योतिर्मय बसु की अनुपस्थिति ने एक रिक्ति उत्पन्न कर दी है—एक ऐसी रिक्ति जो न केवल सदन में पैदा हुई है अपितु इससे तो वामपंथी और लोक तांत्रिक शक्तियों में भी शून्यता उत्पन्न हो गई है और इस रिक्ति की भविष्य में पूर्ति असम्भव है। हमें आशा करनी चाहिये कि हममें से ही कुछ लोग उनके ध्येय की पूर्ति का उत्तरदायित्व उठायेंगे जो कि एक असम्भव कार्य ही है।

अन्य महानुभावों के बारे में विशेषकर श्री मोहन लाल सुखाड़िया और श्री जयसुख लाल हाथी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वे महान देश भक्त थे और कुशल प्रशासक भी थे। और हमारे देश को समृद्ध बन ने में उनका योगदान रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं शोक-सन्तप्त परिवारों को इस सभा की ओर से गहन दुःखानुभूति और शोक सम्वेदना प्रेषित करने में आपके और अन्य सदस्यों के साथ हूं। मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे।

**डा. फारूक अबदुल्ला (श्रीनगर)** : महोदय, ऐसे महान नेताओं के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करने में मैं भी प्रधान मंत्री महोदय आपके तथा अन्य नेताओं के साथ हूं जब मैं राजस्थान आयुर्विज्ञान का छात्र था तो श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और उस राज्य के निर्माण के लिए मैंने उन्हें बहुत ही कठोर परिश्रम करते हुए देखा है आज जो कुछ भी राजस्थान है वह मोहनलाल जी के कठोर परिश्रम का ही फल है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान उन्हें सदैव याद रखेगा। न केवल राजस्थान अपित् पूरे भारत को ऐसे क्षमतावान, ऐसे कुशल प्रशासक और भारत की स्वतन्त्रता के सैनानी का अभाव खटकेगा।

श्री ज्योतर्मय बसु के निधन से युवा संसदविज्ञ होने के नाते, मैंने एक व्यक्तिगत मित्र ही खो दिया है। कई बार मुझे प्रक्रियायों का ज्ञान नहीं होता था तो मैं उनके पास जाता था और वह सदैव मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते थे। उनके तेज भाषणों और जो मुददे वह यहां पर उठाते थे, उन्हे सुन कर कई बार हममें से कईयों को बड़ा ही आश्चर्य होता था कि इतने भारी हृदय रोग से ग्रस्त यह व्यक्ति किस प्रकार इस देश को उस पथ पर अग्रसर रखने के लिए, जैसा कि वह चाहते थे, इतना सब कुछ करने में अभी भी समर्थ हैं।

जहां तक जनाब हाथी साहेब की बात है' मुझे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है परन्तु जो कुछ मैं जानता हूं वह यह है कि वह भी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के एक महान सेनानी रहे हैं और स्वाधीनता के पश्चात इस देश को एक महान राष्ट्र बनाने में भी सक्रिय रहे।

इन नेताओं के निधन पर गहन दुःख व्यक्त करने में मैं भी आप सभी के साथ हूं और आपके माध्यम से शोक—सन्तप्त परिवारों को शोक-संम्वेदना प्रेषित करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय,** : मुझे विश्वास है कि शोक-सन्तप्त परिवारों को संम्वेदनाएं प्रेषित करने में सभा मेरा साथ देगी। अब सभा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी रहेगी।

**(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)**

---

## मंत्रीयों का परिचय

**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री महोदया।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : महोदय, अपने सहयोगियों का परचय आपसे और आपके माध्यम से सभा को कराते हुए, मुझे प्रसन्नता अनुभाव हो रहीं है।

**केबिनेट स्तर के मंत्री**

1. **श्री जन्नाथ कौलज्ञ**—विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री।

**राज्य मंत्री**

2. **श्री गार्गी शंकर मिश्र**—ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग मे राज्य मंत्री।

3. **श्री ए. ए. रहीम**—विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री।

**उप-मंत्री**

4. **श्री के. पी. सिंह देव**—रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री

5. **श्री धर्मवीर**— श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री

6. **श्री शिरिधर गोमांगो**—पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री

7. **श्री आरिफ मोहम्मद खां**—सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री

8. **श्री जनार्दन पुजारी**—वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री

9. **श्री कल्पनाणनाथ राय**—संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री

10. **श्री एम. एस.संजीवी राव**—इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री

धन्यवाद

**श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण)** : महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका संसदीय कार्य प्रणाली से गहरा सम्बन्ध है।

**अध्यक्ष महोदय**, : वह क्या है ?

**श्री रतन सिंह राजदा** : मंत्री मण्डल में पुनः फेरबदल करके स्थापित परम्परा का उल्लंघन किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसे मुझे कल देना। हम इसे देखेंगे।

**श्री रतन सिंह राजदा** : वित्त मंत्री का लोक सभा का सदस्य होना अनिवार्य है। श्री प्रणव मुखर्जी राज-सभा के सदस्य हैं। क्या आप मुझे कल इसकी अनुमतिदेगे ? तो फिर मैं इसे कल ही उठाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आपके पास कोई मुद्दा है तो हम इस पर कल विचार कर लेंगे।

**श्री रतन सिंह राजदा** : बहुत अच्छा महोदय। मैं इसे कल उठाऊंगा।

———

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन ।**

**संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) गांधी स्मृति समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 3283/82]**

**ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन ।**

**नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ;

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

**[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सख्या एल. टी. 3282/82**

**अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम पोर्ट ब्लेयर की वर्ष 1979-80 तथा राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन ।**

**कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (रावबीरेन्द्र सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ ।

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1979-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

दो) अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागन विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी.3284/82]**

(2) (एक) राष्ट्रीय सहकारित प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-3285/82]

**एशियाई खेलों सम्बन्धी विशेष संगठन समिति की वर्ष 1980-81 और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षाए और वार्षिक प्रतिवेदन।**

**शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) एशियाई खेलों, 1982 संबंधी विशेष संगठन समिति के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) एशियाई खेलों, 1982 संबंधी विशेष संगठन समिति के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सख्या एल. टी. 3286/82]

(2) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 3287/82]

**भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड कलकत्ता की वर्ष 1980-81 की समीक्षायें और वार्षिक प्रतिवेदन**

**नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीता राम केसरी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी वथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सडक निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सख्या एल. टी. 3288/82]

(2) (एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सख्या एल. टी. 3289/82]

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन**

**कृषि और ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : श्री आर. वी. स्वामीनाथन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—.

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ग 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेट, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

**[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 3290/82]**

**केरल और असम राज्यों के सम्बन्ध में उद्घोषणायें**

**गृह मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356. के खंड (2) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 28 दिसम्बर, 198। की उद्घोषणा, जिसके द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 21 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है जो दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 675 (अ) में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 3291/82]**

(दो) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 13 जनवरी, 1982 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा असम राज्य के सम्बन्ध में 30 जून, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है, जो दिनांक 13 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 13 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

**[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सख्या एल. टी. 3992/82]**

**दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (संग्रह नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश 1981**

**कृषि और नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (संग्रह नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 10(अ) में प्रकाशित हुआ था।

**[ग्रन्थालय में रखी गई देखियेसंख्या एल. टी. 3293/82]**

**इन्स्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन बम्बई और इस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मद्रास आदि के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन**

**कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में उप-मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग एण्ड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 3294/82]

(2) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन बंबई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 3295/82]

(3) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 3296/82]

(4) इंस्टीट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 3297/82]

(5) फूड क्राफ्ट, इंस्टीट्यूट, कालामस्सरी (कोचीन केरल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 3298/82]

(6) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष, 1900-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी.** 3299/82]

(7) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, चण्डीगढ़ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथ अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सख्या एल. टी.** 3300/82]

(8) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर के वर्ष, 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी.** 3301/82]

(9) फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट, भोपाल के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपरोक्त मद संख्या (13) से (21) में उल्लिखित संस्थाओं के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.** 3302/82]

**भारतीय तार यन्त्र (पहला संशोधन) नियम, 1982**

**संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार यन्त्र (पहला संशोधन) नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 58 (ई) में प्रकाशित हुए थे तथा सा. का. नि. 67 (ई) के अन्तर्गत 16 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र। **[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 3303/82]**

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 आयकर अधिनियम, 1962 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अधीन अधिसूचनायें और दिसम्बर 1981 में जारी किए गये बाजार ऋणों का परिणाम दर्शाने वाला तथा विशेष वाहक बाण्ड 1991 की बिक्री से प्राप्त धन के बारे में विवरण**

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

( ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 23 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 74 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 जो दिनांक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 95 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 जो दिनांक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 99 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सख्या एल टी. 3304/82]**

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाए (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का. आ. 51 जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "ग्रेटर वैशाख लैपरेसी ट्रीटमेंट एण्ड हैल्थ एजुकेशन स्कीम, विशाखापत्तनम" को छूट देने के बारे में है।

(दो) का. आ. 52, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "हैबिटेट इण्डिया" को छूट देने के बारे में है।

(तीन) का. आ. 53, जो दिनाँक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "राजस्थान पुलिस वैनेवलेंट फण्ड" को छूट देने के बारे में है।

(चार) का. आ. 54, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "सेन्टर फार रिसर्च इन रूरल एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट चण्डीगढ़" को छूट देने के बारे में है।

(पांच) का. आ. 55, जो दिनाँक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "तमिलनाडु पुलिस फैमिलीज वैलफेयर आर्गनाइजेशन" को छूट देने के बारे में है।

(छः) का. आ. 56, जो दिनांक 9 जनवरी, 1932 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए 'उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र" को छूट देने के बारे में है।

(सात) का. आ. 57, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "हरि ओम आश्रम, नडियाड" को छूट देने के बारे में है।

(आठ) का. आ. 58, जो दिनाँक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1986-87 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए राम शरण दास किशोरी लाल पूर्त न्यास' को छूट देने के बारे में है।

(नौ) का. आ. 59, को दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास" को छूट देने के बारे में है।

(दस) का. आ. 60, जो दिनांक 9 जनवरी 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये "आल इंडिया फैडरेशन फार स्पोर्टस एण्ड रिहैबिलिटेशन आफ पैराप्लैजिक्स" को छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 61, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष

1979-80 से 1981-82 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन तथा स्मारक न्यास" को छूट देने के बारे में है।

(बारह) का. आ. 62, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन" को छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 63, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "श्री सत्य साई सेन्ट्रल ट्रस्ट, बम्बई" को छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का. आ. 64, जो दिनांक 9 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए "लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है। [ग्रन्थालयमें रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-3305/82]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सा. का. नि. 679 (अ), जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या 10—सीमाशुल्क में आगे संशोधन किया गया है, जिससे अधिसूचना की वैधता को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सके।

(दो) सा. का. नि. 681(अ), जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन' जिसके द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 84—सीमाशुल्क में आगे संशोधन किया गया है, जिससे अधिसूचना की वैधता को तीन महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सके।

(तीन) सा. का. नि. 685(अ), जो दिनांक 1 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने संबन्धी विनिमय दरों के बारे में है।

(चार) सा. का. नि. 11(अ) और 12 (अ), जो दिनांक 13 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 4—सीमाशुल्क और दिनांक 12 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या 136—सीमाशुल्क को रद्द किया गया है।

(पांच) सा. का. नि. 14(अ), जो दिनांक 14 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा बादाम, किशमिश और

खजूरों के भारत में आयात किये जाने की दशा में दिनांक 14-11-1980 की अधिसूचना संख्या 225—सीमाशुल्क के अन्तर्गत निर्धारित किये गये टैरिफ मूल्यों में संशोधन किया गया है।

(छः) सा. का. नि. 15(अ), जो दिनांक 15 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 500 मि. मी. से अधिक चौड़ाई की हाट रोल्ड जंगरोधी इस्पात कुण्डलियों को जब उनका कोल्ड रेलिंग के लिये भारत में आयात किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क को मूल्यानुसार 100 प्रतिशत से अधिक पर 15 जनवरी, 1983 तक छूट दी गई है।

(सात) सा. का. नि. 28(अ), जो दिनांक 28 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो निर्यात उत्पादन के लिये अग्रिम लाइसेंसों पर बिना किसी शुल्क के आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में और वस्तुओं को शामिल करने के बारे में है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-3506/82**]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा. का. नि. 673(अ), जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 68/76-सी. ई. और 69/76-सी. ई. में और संशोधन किये गये हैं।

(दो) सा. का. नि. 1151, जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो तरबूज के तेल, साल तेल और महुआ के तेल पर उत्पादन-शुल्क से छूट के बारे में है।

(तीन) सा. का. नि. 1152, जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 24/75-सी- ई. में और संशोधन किये गये हैं।

(चार) सा. का. नि. 1153, जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सैलूलाज एसीटेट मोल्डिंग ग्रेनुल्स को उस पर उदग्रहणीय मूल उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देने, जो मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक हो, के बारे में है।

(पांच) सा. का. नि. 678(अ), जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो पूरी तरह से कांच फाइबर से बने हुए धागे पर छूट के बारे में है।

(छः) सा. का. नि. 680(अ), जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा अमोनिया के विनिर्माण में इस्तेमाल के लिये आशयित कच्चे नेफथा को दिनांक 12 सितम्बर, 1977 की

अधिसूचना संख्या 291/77-के. उ. शु. के अन्तर्गत दी गई रियायत की अवधि एक और वर्ष के लिये बढ़ाई गयी है।

(सात) सा. का. नि. 682(अ), जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इस्तनपान कराने वाली माताओं को मुफ्त बांटे जाने वाले "तैयार खाद्य पदार्थों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(आठ) सा. का. नि. 46, जो दिनांक 16 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा इन्डोसल्फेन (तकनीकी) के निर्माण में प्रयुक्त बेंजीन और टालएन पर छूट देने के लिए दिनांक 1 मार्च, 1973 की अधिसूचना संख्या 34/73-सी. ई. में और संशोधन किया गया है।

(नौ) सा. का. नि. 9(अ), जो दिनांक 11 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 13 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या 53/80-सी. ई. 54/80-सी. ई. और 55/80-सी. ई. में और संशोधन किये गये हैं।

(दस) सा. का. नि. 29(अ), जो दिनांक 28 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो डिब्रूगढ़ जिले में पैदा की गई चाय पर उत्पादन-शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) सा. का. नि. 39(अ) और 41(अ), जो दिनांक 3 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1961 की अधिसूचना संख्या 55/61-सी. ई. दिनांक 24 जुलाई, 1972 की अधिसूचना संख्या 172/72-सी. ई. में और संशोधन किया गया है और दिनांक 1 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या 59/65-सी. ई. को मंसूख किया गया है ताकि अवशिष्ट धागे (हार्ड वेस्ट) और कपास पर छूट दी जा सके।

(बारह) सा. का. नि. 43(अ), जो दिनांक 4 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो पोलीयस्टर धागे पर उत्पादक-शुल्क की अदायगी से छूट के बारे में है।

(तेरह) सा. का. नि. 53 (अ), जो दिनांक 8 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 जुलाई, 1972 की अधिसूचना संख्या 179/72-सी.ई. में और संशोधन किया गया है।

(चौदह) सा. का. नि. 2(अ) और 3(अ), जो दिनांक 1 जनवरी. 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो लघु निर्माताओं द्वारा बनायी जाने वाली माचिसों और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभागीय रूप से चलायी जाने वाली फैक्टरियों में बनायी जाने वाली माचिसों पर उत्पाद-शुल्क में रियायत देने के बारे में है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3-07/82**]

(5) एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसमें दिसम्बर, 1981 में जारी किये

गये बाजार ऋणों के परिणाम तथा विशेष वाहक बॉंड, 1981 में बिक्री से हुई वसूली दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3308/82]

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** अध्यक्ष महोदय मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

**अध्यक्ष महोदय :** आज कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। (व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : मण्डल कमीशन की रिपोर्ट सदन में नहीं आई हैं। (व्यवधान) हमारी बात न सुनने पर हम सदन का परित्याग करते हैं।

(श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये)

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आज नहीं कल करेंगे यह बात। (व्यवधान) सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

---

1. 31 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 19 फरवरी 1982/30 माघ 1903 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6